उन्नति विचार

वर्ष : 15 अंक : 2 मई-अगस्त, 2010

अनुक्रम

संपादकीय 1

विकास विचार 2
- लोक आधारित आपदा प्रबंधनः सामुदायिक योजना द्वारा जोखिम निवारण

नज़रिया
- मुस्लिम महिलाएं और बुर्का 8

अपनी बात
- गुजरात में शाला सुरक्षा के प्रयास 10
- स्वास्थ्य परिवीक्षणः आइडियल का अनुभव 16
- अकाल सहायता सेवाओं पर समुदाय की निगरानी 21

आपके लिए
- विकासपरक योजनाएं और आपदा निवारण के बीच समन्वय 28

संदर्भ सामग्री 33

अपने बारे में 37

संपादकीय टीम :
दीपा सोनपाल
बिनोय आचार्य

वार्षिक चंदा : 25 रु. मात्र
बैंक ड्राफ्ट अथवा मनीऑर्डर 'UNNATI - Organisation for Development Education', अहमदाबाद के नाम भेजें।

केवल सीमित वितरण के लिए

संपादकीय

आपदा निवारण और जोखिम निवारण में समुदाय-आधारित अभिगम

साधारणतया आपदा का अर्थ संकट की ऐसी दशा से होता है जिसमें स्थानीय समुदाय अपने प्रयत्न से संभल पाने और सामना कर पाने में असमर्थ होता है और उसे बाहरी मदद की जरूरत पड़ती है। समुदाय संचालित आपदा-जोखिम घटाने का अभिगम वर्तमान समय में व्यापक हो रहा है जो परंपरागत आपदा प्रबंधन से अलग और नवीनतम है। परंपरागत अभिगम में विपत्ति के बाद पीड़ित समुदाय की जानमाल बचाने और राहत पहुंचाने का मुख्य उद्देश्य था, परंतु इस नवीन अभिगम में विपत्ति से पूर्व, उसके दौरान और उसके बाद के कार्यों एवं प्रक्रिया का भी समावेश होता है। इस अभिगम में समुदाय अपने स्तर पर विविध संकटों का आकलन करता है, संकट के अनुसार निःसहाय व्यक्ति अथवा समूह को बचाता है। ऐसे समुदाय की वर्तमान क्षमता और क्षमतावृद्धि की कमियों को वह बचाये और आकलन के आधार पर प्राकृतिक या मानव सृजित संकट आपदा न बने इस हेतु संकट को रोकने के प्रयास, संकट के प्रभावों को कम करने के कार्य, संकट के समय समुदाय को टिकाए रखने हेतु क्षमतावर्धन और संकट का सामना करने की पूर्व तैयारी मुख्य मुद्दे हैं।

विगत दो दशकों में भारत में नियमित रूप से बाढ़, चक्रवात, सुनामी, भूकंप, कौमी दंगे और आतंकवादी घटनाओं जैसी विपदायें आती रही हैं। ऐसी प्रत्येक विपत्ति में सबसे ज्यादा सहन करने और उसका प्रतिरोध करने वाला स्थानीय समुदाय ही होता है। बाहर की संस्थाओं, सरकार, दाता, मददकर्ता आदि को ऐसी विपत्ति के स्थान पर पहुंचने में समय लगता है। स्थानीय समुदाय के पास हर तरह के संकट में टिके रहने और सामना करने के लिए विविध प्रकार के कौशल और व्यवस्थाएं होती हैं। उन्हें ध्यान में रखकर विपत्ति निवारण तथा जोखिम निवारण की व्यूहरचना बनाई जानी चाहिए।

समुदाय की अपनी परंपरागत व्यवस्था और उसके कौशल को सुदढ़ व मजबूत करना जरूरी है। समुदाय संचालित अभिगम में संकट के आकलन, आकलन आधारित कार्यलक्ष्यी योजना का निर्माण, कार्यलक्ष्यी योजना का क्रियान्वयन और संकट के समय प्रतिरोध की कार्यवाही भी स्थानीय समुदाय द्वारा संचालित हो तभी सच्चे अर्थ में आपदा प्रबंधन में स्वावलंबन प्राप्त हो सकता है। इस अभिगम को ध्यान में रखकर विपत्ति के सामने टिके रहने हेतु भारत में केंद्र व राज्य सरकारों ने विविध कानून बनाये हैं। उसमें विपत्ति के जोखिम को घटाने के लिए स्थानीय व राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिकता दी गई है। संक्षेप में, यह जरूरी है कि विपत्ति में होने वाले राहत कार्य और उसके बाद के पुनर्वास के कार्य तथा विकासपरक कार्य भी भविष्य में इस रीति से बनाये जाएं और उनका क्रियान्वयन हो कि वे ऐसे संकटों को विपत्ति में परिणत होने से रोकने में उपयोगी बनें।

लोक आधारित आपदा प्रबंधनः सामुदायिक योजना द्वारा जोखिम निवारण

हाल के वर्षों में आपदाओं से संबंधित विविध विचारों एवं व्यवहारों में बहुत परिवर्तन आया हैः विपत्ति का प्रत्युत्तर देने और उसका निवारण करने में समर्थता व सक्षमता के अभिगम उभर कर आये हैं। असहायता घटाने के लिए समुदाय की सहभागिता और उसकी अपनी प्रतिकार क्षमता बढ़ाने पर अधिक बेल दिया गया है। इस विषय में 'उन्नति' द्वारा कराये गए दो प्रकाशनों में से कुछ तथ्य यहां सरल तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

प्रस्तावना

दो दशकों के दौरान भारत में लातूर के भूकंप, उड़ीसा के महाविनाशक तूफान, कच्छ के भूकंप, दक्षिण भारत की सुनामी, कश्मीर के भूकंप या फिर मुंबई, बिहार और उत्तर प्रदेश में आई बाढ़ से महाविनाशकारी स्थिति बन गई थी, तो कभी अकाल, महामारी की दशा भी पैदा हुई और बड़ी तादाद में जानमाल का संकट उपस्थित हुआ। आर्थिक नुकसान भी सहना पड़ा।

छोटे छोटे और बार-बार आने वाले स्थानीय स्तर के संकटों से जिस मात्रा में नुकसान हुआ है, उसके बजाय अत्यधिक तीव्रता वाले और कभी-कभी आने वाले संकटों से नुकसान कम हुआ है। बड़े संकटों से एक बड़ा हाहाकार - भय अवश्य उत्पन्न हुआ है, परंतु छोटे-छोटे संकटों का गरीबों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए बार-बार आने वाले अकाल से एक साधारण किसान धीमे-धीमे खेतीहर मजदूर बन जाता है। ऐसे धीमी गति से आगे बढ़ने वाले संकटों के समय उचित समय पर उचित मदद भी नहीं मिलती, और अंत में नुकसान बढ़ता है। विगत दशकों में संकट आने के पश्चात् सिर्फ मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर राहत अथवा मदद पहुंचाने के उद्देश्य से कार्यवाही हाथ में ली जाती थी। अल्प समय के लिए यह मदद चलती है और बात विस्मृत हो जाती है। समाज धीमे-धीमे अपनी मूल स्थिति पर वापिस लौटने का प्रयत्न करता है, कई सफल रहते हैं तो कई निष्फल रह जाते। लेकिन कुल मिलाकर इस बात की समीक्षा होती है कि लोगों को यथासमय राहत पहुंची या नहीं, आश्रय दिया या नहीं! राहत के काम को पुण्य के काम के बतौर एक मानवीय अभिगम के रूप में देखा जाता था जिनको नुकसान हुआ है, उनके प्रति संवेदना की भावना के साथ यह कार्यवाही होती थी। ऐसा माना जाता कि ऐसे वक्त में सबल और समृद्ध लोगों को निर्बल और गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए।

शुरूआत के वर्षों में आकस्मिक स्थिति से पार पाने के लिए विशेष आयोजन अर्थात् कंटिन्जेंसी प्लान की हिमायत की गई, लेकिन उसके बावजूद संकट के प्रतिकूल प्रभाव जारी ही रहे। अब सबका यह मानना है कि संकट के विपरीत प्रभावों के लिए असुरक्षितता (वल्नरेबिलिटी) उत्तरदायी है, जब तक असुरक्षितता को नियंत्रित व कम करने का आयोजन नहीं किया जाता, तब तक विकास के उद्देश्य पूरा करने में निश्चय ही कठिनाई पैदा होगी।

सिद्धांत और व्यूहरचना

आपदाओं की व्यापक समीक्षा करने के लिए दुनिया के विविध देशों के प्रधानमंत्री जनवरी 2005 में जापान के कोबे में इकट्ठा हुए और उन्होंने 2005 से 2015 तक में क्रियान्वित किये जाने योग्य कार्यों व सिद्धांतों, रणनीतियों हेतु सर्वसम्मति व्यक्त की। उनमें भारत भी सम्मिलित है:

(1) आपदा जोखिम घटाने के मुद्दे को विकास कार्यक्रमों के साथ जोड़ना।
(2) हर स्तर पर जोखिम घटाने से संबंधित क्रमबद्ध उपाय करना।
(3) तात्कालिक बचाव-राहत के दौरान भी आपदा जोखिम घटाने की बात जोड़ना।

इस रणनीति को उपयोग लेने के उद्देश्य से भारत में आपदा प्रबन्धन अधिनियम बनाया गया और उस कानून के तहत प्रत्येक राज्य में आपदा प्रबंधन अभिकरण गठित किये गए हैं। वे उपर्युक्त उद्देश्यों

विपत्ति से लोगों पर होने वाला प्रभाव

मनुष्यों के जीवन पर विपत्तियां जो प्रभाव डालती हैं, उनके विविध पहलू निम्नानुसार हैं:

1. मनुष्य की जिंदगी
2. धन-सम्पति और मिल्कियत
3. जीवन जीने की स्थिति
4. जीवन निर्वाह
5. सामाजिक संबंध
6. आर्थिक प्रवृत्तियां
7. सामाजिक या भौतिक ढांचागत सुविधाएं या सेवाएं
8. पर्यावरण

को आगे ले जाने के प्रयत्न करेंगे। इस तरह यह बात अब सभी ने स्वीकार कर ली है कि संकट के समय सिर्फ मदद के बदले संकट आने पर जोखिम किस तरह कम हो, इसके लिए योजनाबद्ध प्रयत्न किये जाने चाहिए।

साथ ही साथ समुदाय के अलावा विविध हिताधिकारियों की भूमिका पर भी विशेष बल दिया गया कि जिसमें लोगों को सक्षम बनाने तथा विशेष रूप से प्रभावित समुदाय के द्वारा ही समस्या को पहचानने उनके कारणों और प्रभावों को खोजने, साथ मिलकर उनके नकारात्मक प्रभाव कम करने के उपाय खोजने, अपने संसाधनों का अंदाज लगाने तथा पूर्व तैयारी व जोखिम घटाने की योजना तैयार करने की रणनीति पर विशेष बल दिया गया है।

लोक आधारित प्रबंधन

इस प्रकार, समुदाय को जोखिम मुक्त/भय मुक्त बनाने की विचारधारा प्रमुख बनती रही है, और इसी से समुदाय की समझ तथा उसकी भागीदारी मुख्य स्थान पर रखी गई है, क्योंकि समुदाय अपने आसपास की भयजनक स्थिति, अपने सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश तथा अपने संसाधनों से सुपरिचित है और जब कोई संकट आता है तब समुदाय के लोग ही एक दूसरे को फौरन मदद पहुंचा सकते हैं। इसे लोक आधारित आपदा व्यवस्थापन कहते हैं। इसकी विशेषताएं इस प्रकार हैं:

1. यह समाज के असमानता बढ़ाने वाले और विकास को अवरुद्ध करने वाले तंत्र को दूर करने की हिमायत करता है और असहायता के प्रभाव को बढ़ाने वाले मूलभूत कारणों कोचुनौती देता है।
2. यह मानता है कि आपदा प्रबंधन विकास की योजनाओं के आयोजन और क्रियान्वयन का आंतरिक भाग बनना चाहिए, तभी स्थायी विकास संभव है।
3. यह मानता है कि आपदा से सुरक्षित समाज मनुष्य का मूलभूत अधिकार है।
4. यह लोगों की जानकारी, ज्ञान, संस्कृति तथा रीतिरिवाजों का आदर करता है और उसे मान्यता प्रदान करता है।
5. यह मानता है कि दुर्बल अथवा वंचित समुदायों/व्यक्तियों की आपदा प्रबंधन में मुख्य भूमिका है।
6. यह स्त्री-पुरुष के बीच सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने की बात करता है तथा सभी स्तरों पर महिलाओं की सहभागिता को प्रोत्साहन देता है।
7. यह मानता है कि प्रभावित होने वाले विविध हिताधिकारियों की सीधी एवं निर्णायक भूमिका है, जबकि स्वैच्छिक संस्थाओं, सामाजिक संगठनों और सहकार की सहायक भूमिका है।
8. यह मानता है कि संचार माध्यम इस विभावना को बनाये रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं।

इसके मूल उद्देश्य ये हैं:

1. आपदा के संभावित जोखिमों को कम करना अर्थात् पानी से पहले पाल बांधना। ऐसे काम हाथ में लेना, जिनके अमल से नुकसान घटे।
2. स्थायी विकास साधना और गरीबी घटाना। कोई भी आपदा सामान्य रूप से चलने वाली विकास की प्रक्रिया पर सीधा असर डाल सकती है, अतः विकास के प्रयत्नों को टिकाये रखने की पूर्व तैयारी आवश्यक है।
3. लोगों को सक्षम बनाना। समुदाय के लोग इसमें जुड़े होने अपने सामने के संभावित जोखिमों के खिलाफ वे समझ विकसित करते हैं अतः उससे उनकी क्षमता बढ़ती है।
4. समानता लाना। इस कार्यक्रम में सभी लोगों की भागीदारी जरूरी है जो सबको जुड़ने का अवसर प्रदान करता है।

असहायता का अर्थ?

असहायता ऐसी व्यापक और लंबी अवधि की परिबल, परिस्थितियां और दुर्बलताएं हैं, जो व्यक्तियों, परिवारों, संगठनो और समुदायों के विपत्ति के हानिकारक प्रभावों का सामना करने या उसमें से फिर से खड़े होने और उसके समक्ष अपनी रक्षा करने की क्षमता पर विपरीत प्रभाव डालती हैं। भौगोलिक स्थान, शारीरिक स्थिति, सामाजिक वंचितता व सीमांतीकरण, आर्थिक अस्थिरता या पर्यावरणीय परिस्थिति के कारण असहायता उत्पन्न हो सकती है।

(1) असुरक्षित परिस्थितिः

लोग घरों, जलापूर्ति, सामाजिक समूहों व नेटवर्क, फसल, पशुओं, बचत, नौकरी, प्राकृतिक वातावरण आदि विविध संसाधनों पर निर्भर रहते हैं। जब संकट आता है तब ये संसाधन जोखिम में पड़ जाते हैं। अगर ये संसाधन असुरक्षित स्थिति में हों तो लोग असहाय हो जाते हैं और विपत्ति आ जाती है। ऐसी असुरक्षित स्थिति किसी स्थान या सामाजिक स्थिति के साथ संबंधित होती हैं।

(2) गतिशील दबावः

असुरक्षित परिस्थिति हमारे आसपास के बड़े परिबलों का परिणाम होती है। ये गतिशील दबाव हैं, जैसे कि कानून, संस्थाएं, नीतियां अथवा प्रवृत्तियां। ये परिबल भी संगठनों या सरकार, निजी संस्थाओं या व्यक्तियों पर आधारित होते हैं। इन परिबलों के कारण समुदाय की संसाधन संबंधी पहुंच घट भी सकती है। बहुधा हमें पता नहीं होता कि वे परिबल कौनसे हैं परंतु उनका संयुक्त प्रभाव व्यक्तियों और समुदाय की असहायता मे वृद्धि करता है।

(3) मूल कारणः

असहायता के कारण बहुधा गहरे होते हैं और वे व्यापक आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक माहौल में से उत्पन्न होते हैं। सत्ताधीश लोग अलग अलग आर्थिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक पर्यावरण में अलग-अलग तरीके से बर्ताव करते हैं। संभव हैं ये मुद्दे प्रभावित समुदाय को बहुत अलग लगें, लेकिन इनका समग्र प्रभाव बहुत मजबूत होता है। स्थानीय स्तर के लोगों की असहायता खराब शासन व्यवस्था, लोग, असमानता या अन्याय जैसे मूल कारणों के साथ संबंधित होते हैं।

इस विचार को सफल बनाने के लिए विविध स्तरों पर समन्वित प्रयत्न होने चाहिए। इसमें गांव से लेकर तहसील, जिला और ठेठ राज्य स्तरीय विविध घटकों यथा पंचायती राज व्यवस्था, ग्राम स्तरीय संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं, धार्मिक संगठनों, संचार माध्यमों, विद्यार्थियों, विषय-विशेषज्ञों और औद्योगिक समूहों की भूमिका महत्त्वपूर्ण बनती जा रही है।

असहायता में कमी

संकट और असहायता दोनों इकट्ठे होते हैं तब आपदा का जोखिम खड़ा होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि संकट की तीव्रता घटे तो जोखिम घटता है, अथवा जोखिम उत्पन्न करने वाले परिबलों के विरुद्ध रक्षा की व्यवस्था में सुधार हो तो जोखिम घटता है। असहायता घटाने के लिए दबाव के विरुद्ध काम करने के लिए लंबी अवधि की व्यूहरचना होनी चाहिए। ऐसा लगता है कि असहायता दूर करने का काम जटिल और प्रचंड है। लेकिन यदि आरंभ के चरण में ही यह काम हाथ में लिया जाए तो किसी परिस्थिति से संबंधित समाधान खोजा जा सकता है। उसके लिए बहुक्षेत्रीय और सहभागी अभिगम अपनाना पड़ता है। कई बार ऐसा भी लगता है कि असहायता के कारणों में अल्पविकास के परिबल महत्वपूर्ण होते हैं। अतः असहाय अंचलों में विकासपरक कार्यक्रम हाथ में लेने से असहायता का निवारण हो सकता है। लोग स्वयं जिस असहायता और जोखिमों का सामना करते हैं, उन्हें पहचानना चाहिए ताकि वे स्वयं उनके समक्ष कदम उठा सकें। संकट आने पर यथासमय आश्रय स्थान पहुंचकर, घर की जमीन का स्तर ऊंचा करके, स्थानीय सत्ताधिकारियों को अधिक उत्तम सेवाएं प्रदान करने हेतु दबाव डालकर अपनी असहायता वे कम कर सकते हैं। अतः यह जरूरी है कि व्यक्ति और समुदाय जिस असहायता का सामना करते हैं, उस संबंध मे अपना ज्ञान बढायें, सूचना प्राप्त करें और कदम उठायें।

फिर ऐसा नहीं है कि प्रत्येक गरीब व्यक्ति पर विपत्ति में असर पड़ता ही हो। इसके अलावा मात्र गरीबों पर ही विपत्ति का विपरीत असर होता हो ऐसा भी नहीं हैं। असहायता के अनेक कारणों में गरीबी भी एक कारण है। वर्ग, वंशीयता, सामुदायिक ढांचा, समुदाय की निर्णय प्रक्रिया और राजनीतिक प्र न इत्यादि परिबल भी असहायता

आपदा जोखिम घटाने हेतु समुदाय आधारित प्रक्रियाएं

(1) प्रक्रिया का प्रारंभ

1. स्थानीय संदर्भ में आपदा जोखिम संबंधी समझ विकसित करना।
2. समुदाय के साथ सम्पर्क तथा संबंध विकसित करना।
3. परियोजनाओं के उद्देश्य तथा परिणाम निश्चित करना।
4. परियोजना को समर्थन देने हेतु समुदाय के नेता निश्चित करना।
5. क्रियान्वयन में समुदाय को मदद देने हेतु विविध विशेषज्ञों का समूह तैयार करना।

(2) जोखिम का सामुदायिक रूप से आकलन

1. संकट का सहभागी आकलन
2. असहायता का आकलन
3. प्राप्य संसाधनों का नक्शांकन
4. लोगों का जोखिम संबंधी विचार और लोगों की क्षमताएं।

(3) आपदा का जोखिम घटाने की आरंभिक योजना

1. लोक जागृति विकसित करना
2. विपत्ति के सामने की तैयारी व निवारण हेतु उपाय तय करना
3. प्रशिक्षण व शिक्षण

(4) सामुदायिक कार्यदल व समितियों के गठन

1. समुदायों को इकट्ठा करना व संगठन बनाना।
2. क्षमता निर्माण की तैयारी

(5) क्रियान्वयन

1. व्यूहरचनाओं तथा व्यवस्थाओं का अमल।
2. संगठनों या संस्थाओं को सुदृढ़ बनाना।

(6) देखरेख व मूल्यांकन

1. आपदा जोखिम घटाने विषयक योजना में सतत सुधार
2. उत्तम विधियों का दस्तावेजीकरण और प्रसार ताकि उनका अन्यत्र क्रियान्वयन हो सके।

उत्पन्न करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। कोई गरीब समुदाय आर्थिक दृष्टि से गरीब हो, लेकिन वह सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टि से असहायता का सामना करने में सक्षम भी हो सकता है।

सामुदायिक सहभागिता

समुदाय की सहभागिता का अर्थ यह है कि समूह या समुदाय का प्रत्येक सदस्य विकासपरक प्रवृत्ति की निर्णय प्रक्रिया और उसके क्रियान्वयन में हिस्सा ले। समुदाय तथा व्यक्तियों के विकास हेतु समान ध्येय सिद्ध करने के लिए समूह के रूप में वे साथ मिलकर काम करते हैं। उसके उद्देश्य निम्नानुसार है:

(1) असहायता को घटाना तथा विपत्ति का सामना करने की लागों की क्षमता बढ़ाना।
(2) आपदा से उत्पन्न जोखिम घटाने हेतु जरूरी संसाधन बढ़ाना।
(3) ऐसी भावना उत्पन्न करना कि समुदाय में वे स्थानीय संसाधनों के मालिक हैं।
(4) यह देखना कि कार्यक्रम स्थानीय बने।
(5) बाहरी सहायता पर समुदाय की निर्भरता घटाना।

सामुदायिक सहभागिता में विविध हितधारक होते हैं। लोग, गैर-सरकारी संगठन, स्थानीय प्रशासन तंत्र, स्थानीय व्यवसायी और विद्वानों तथा विशेषज्ञों को एक समुदाय के रूप में काम करना होता है। सामुदायिक सहभागिता के दो अभिगम हैं:

1) प्रत्यक्ष अभिगम: इसमें सामुदायिक बैठकों, कार्यशालाओं, परिसंवादों, ड्रिल, नमूने स्वरूप बचाव प्रदर्शन, व्याख्यानों, प्रत्यक्ष प्राथमिक उपचार और समूह चर्चाओं का समावेश है।
2) परोक्ष अभिगम: मुद्रित विज्ञापन, हॉर्डिंग्स, भित्तिपत्र, केबल नेटवर्क द्वारा विज्ञापन, चेतावनी पंजीकरण, परिपत्र, पैम्फ्लेट, सुरक्षा किट के वितरण आदि का समावेश परोक्ष अभिगम में किया जाता है।

यदि जोखिम घटाने संबंधी परियोजना में समुदाय की तत्कालीन जरूरतों व प्राथमिकताओं का प्रतिबिम्ब पड़ता हो तो उसमें समुदाय की सहभागिता टिकती है। इस हेतु उन्हें प्रस्तुत, वास्तविक और संभावित समाधान खोज निकालने संबंधी अध्ययन व निर्णय प्रक्रिया

में शामिल करना चाहिए। आपदा जोखिम घटाने हेतु समुदायों को तैयार करना चाहिए और उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए क्योंकि -

1. विपत्ति की परिस्थिति में वे ही सर्वप्रथम विपत्ति का सामना करने वाले होते हैं।
2. परिस्थिति का सामना करने के लिए उनके पास स्थानीय स्तर का ज्ञान होता है। लोगों के पास उपयोगी विचार होते हैं, उनके पास देशज तकनीकी ज्ञान व कौशल होता है।
3. समुदाय आपदा-जोखिम घटाने की प्रक्रिया में शामिल हो तो उसका आत्मवि वास बढ़ता है, वे कौशल प्राप्त करते हैं और पारस्परिक सहकार की क्षमता बढ़ती है।

आपदा के जोखिम का आकलन

जोखिम का आकलन करने के लिए यह जानना जरूरी है कि अलग-अलग लोगों पर अलग-अलग संकटों के संदर्भ में कितना जोखिम हैं। यह जानना भी जरूरी हैं कि लोगों के जीवन और जीवन निर्वाह पर प्रभाव डालने वाले ढांचों और साधन-सामग्री पर भी संकटों से किस तरह असर पड़ता हैं। अतः विविध बातों का नक्शांकन जरूरी है। उनकी असहायता का स्वरूप व कारण महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक परिबलों को या जो विविध संकटों के विरुद्ध प्रतिकार करने की लोगों की शक्ति घटाते हैं उन्हें समझना भी अनिवार्य हैं।

1. समुदाय क्या है?

जोखिम का आकलन करने या अभ्यास करने से पहले समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक माहौल को समझना जरूरी है। ग्राम पंचायत के दस्तावेजों में से भी कुछ सूचनाएं इकट्ठी हो सकती हैं। सामाजिक व आर्थिक संसाधनों का नक्शांकन करके परिस्थिति का विश्लेषण किया जा सकता है।

2. संकट का सामुदायिक आकलन

विविध संकटों के स्वरूप और बर्ताव विषयक समझ समुदाय में उत्पन्न होनी चाहिए। उसमें तीन मुद्दों का समावेश होता हैः

(1) समुदाय स्वयं ही जिन संकटों का सामना करता है, उन्हें पहचाने और विगत 20 वर्षों में कब-कब कहां संकट आए, उनका विश्लेषण करे। उसमें उसके प्रभाव, समुदाय की प्रतिक्रिया, बाहर की मदद आदि का विश्लेषण हो।

(2) तमाम संकटों की सूची बनाने के बाद जोखिम की दृष्टि से उसमें प्राथमिकता तय की जाए।

(3) जिन संकटों को प्राथमिकता दी गई, उनके लक्षणों के बारे में सोचा जाए। किस तरह वे समुदाय को प्रभावित करते हैं और उनका सामना करने की क्षमता किस तरह बढ़ाई जा सकती हैं, इस पर उसमें सोचा जाता हैं। उससे संकट का जोखिम जितना है उसे समझा जा सकता है।

3. समुदाय की असहायता का आकलन

संकट का सामना करने की क्षमता के संदर्भ मे असहायता के बारे में सोचा जाता है। लोगों की जिंदगी, स्वास्थ्य, जीवन निर्वाह और मिल्कियत इत्यादि पहलू इसमें महत्त्वपूर्ण हैं। वे जिस स्थान पर रहते हैं, उस पर उसकी काफी निर्भरता हैं। अत्यंत असहाय समूह सुरक्षित स्थान पर जा न सकें, तो उस पर भी असहायता निर्भर करती हैं।

आपदा के जोखिम के आकलन से इन प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं

1. समुदाय को सबसे अधिक किस संकट का अनुभव हुआ हैं? इस संकट के कारण व लक्षण कौनसे हैं?
2. किन लोगों को सबसे अधिक जोखिम होता है? जहां जोखिम ज्यादा है; उन स्थानों में वे क्यों रहते हैं?
3. किन भौतिक ढांचों और साधन-सामग्री को अधिक जोखिम है?
4. बार-बार के संकट को घटाने के इसके लिए समुदाय में कौनसी क्षमताएं नहीं हैं?
5. बार-बार के आने वाले संकट का प्रभाव घटाने के संदर्भ में समुदाय में कौनसी क्षमताएं नहीं हैं?
6. जबर्दस्त जोखिम वाले लोगों में ज्ञान, कौशल और रुख रुझान के संदर्भ में किन बातों का प्रभाव हैं जिससे उनके अस्तित्व के सामने ही खतरा मंडराता है?
7. विपत्ति का सामना करने की तैयारी समुदाय में कितनी कम है जिससे संकट के समय असहायता बढ़ती है?
8. संकट का सामना करने के लिए समुदाय की क्षमता बढ़ाने हेतु क्या उपाय किये जाने जाहिए?

पंचायतों की जिम्मेदारियाँ

सामान्य समय में

1. समुदाय को सबसे अधिक किस संकट का अनुभव हुआ है? इस संकट के कारण व लक्षण कौनसे हैं?
2. कार्यदल के सदस्यों के प्रशिक्षण पर देखरेख
3. विविध संकटों के बारे में जागृति अभियान
4. वर्ष में दो बार मॉक ड्रिल करना
5. बिना बिजली वाले अग्रिम चेतावनी के साधनों को उपयोग में लाना।

विपत्ति के 48 घंटे पहले

1. आकस्मिकता योजना को अद्यतन बनाने के लिए तुरंत मिलना और कार्यदलों व निर्वाचित प्रतिनिधियों की भूमिका तय करना।
2. यह देखना कि योजनानुसार संसाधन प्राप्य हैं अथवा नहीं।
3. लोगों को तैयार रखना।
4. स्थानीय अधिकारियों के नाम, पते व फोन नंबर तैयार रखना।
5. सबको, और विशेष रूप से असहाय समूहों को अग्रिम चेतावनी देना।
6. अनाज, घास-चारे और दवाओं का पर्याप्त स्टॉक एकत्रित रखना।

विपत्ति के दौरान

1. बचाव कार्य, लोगों को अन्यत्र ले जाना।
2. गांव मे विविध कार्यदलों के बीच समन्वय।
3. विविध सरकारी विभागों के बीच समन्वय।
4. संबंधित क्षेत्र के गैर-सरकारी संगठनों और समुदाय आधारित संगठनों के बीच समन्वय।
5. नुकसान का अंदाजा।
6. जलवायु की जानकारी और आदान-प्रदान
7. पुनर्निर्माण और पुनर्वास हेतु सरकार व गैर-सरकारी संगठनों के बीच समन्वय।

विपत्ति के बाद

1. राहत सामग्री के वितरण पर देखरेख।
2. गांव में विविध कार्यदलों के बीच समन्वय।
3. विविध सरकारी विभागों के बीच समन्वय।
4. संबंधित क्षेत्र के गैर-सरकारी संगठनों और समुदाय आधारित संगठनों के बीच समन्वय।
5. नुकसान का अनुमान।
6. जलवायु की जानकारी और आदान-प्रदान
7. पुनर्निर्माण और पुनर्वास हेतु सरकार व गैर-सरकारी संगठनों के बीच समन्वय।

4. समुदाय की क्षमता का आकलन

यह महत्वपूर्ण हैं कि आपदा का जोखिम घटाने हेतु ताकत और संसाधन कितने हैं। व्यक्ति, परिवार और समुदाय विपत्ति का सामना कितना कर सकते हैं, उसका आकलन करना जरूरी है। इस प्रकार की क्षमता में जो कमियां हैं, वे भी महत्वपूर्ण हैं।

5. आपदा की जोखिम का आकलन

अंत में, आपदा के जोखिम की मात्रा तय करनी चाहिए। संकट कैसा है, असहायता कितनी है, और क्षमता कितनी है, उसके आधार पर जोखिम की मात्रा का पता लगाता है। समुदाय की क्षमता को विकसित किये जाने पर जोखिम की मात्रा घटती है।

समुदाय आधारित आयोजन

समुदाय स्वयं ही चर्चा करके आपदा जोखिम घटाने हेतु व्यूहरचना बनाता है। वित्त, भौतिक संसाधन, समय व शक्ति मर्यादित सीमा में ही होती है और उसे उपयोग में लाने का श्रेष्ठ संभावित मार्ग यही होता है। व्यूहरचना में क्या, कब कौन और किस तरह जैसे सवालों का जवाब खोजा जाता है और कार्यलक्ष्यी योजना तैयार की जाती है। क्या हो सकता है, इस मुद्दे पर उसमें ध्यान केन्द्रित किया जाता है। बराबर काम हो, बराबर चिंतन चलें, लोग सीखें और उनका सशक्तिकरण हो, यह बात उसमें महत्त्वपूर्ण है। अत: परिवर्तन के निर्देशक तय करने जरूरी हैं।

कार्यलक्ष्यी योजना में आपातकालीन योजना का महत्व है। जब संकट आ पड़े तब क्या किया जाए, यह बात समुदाय को बताती है। जो संकट सबसे अधिक आता हो, उस संकट के संदर्भ में यह योजना बनाना जरूरी है। जब संकट आता है तब अव्यवस्था छा जाती है। ऐसे समय में समुदाय के पास यदि ऐसी आपातकालीन

मुस्लिम महिलाएं और बुर्का

हाल ही में फ्रांस में इस प्रकार की कानूनी व्यवस्था करने हेतु हलचल मच रही है कि मुस्लिम महिलाएं बुर्का नहीं पहन सकती। साधारण तौर पर बुर्के को पिछड़ेपन और स्त्रियों की गुलामी का प्रतीक समझा जाता है। इस विषय पर भारत के योजना आयोग की सदस्या **सुश्री सईदा एस. हमीद** द्वारा अंग्रेजी दैनिक 'द हिंदू' के दिनांक 8.8.2010 के अंक में जो भिन्न मंतव्य व्यक्त किया गया है, उसे यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

1947 में मेरी मां और परिवार की अन्य महिलाओं ने बुर्का छोड़ देने का निर्णय किया था। हमारा परिवार पंजाब के पानीपत का था। उस जिले में मुस्लिमों की अधिक आबादी थी और उस समय उसका विकास हो रहा था।

सूफी संतों के प्रभाव वाले इस भद्र नगर का एक विशिष्ट लक्षण यह था कि उसमें महिलाओं का अच्छा-खासा प्रभाव था। हमारा घर महिला के नाम से पहचाना जाता था। यथा, बीबी माईमुना की हवेली। बहुत अर्से के बाद अफ्रीका के मोरक्को देश की राजधानी माराकेश में भी मुझे रियाददार माईमुना जैसा ही उल्लेख देखकर आनंद और आश्चर्य हुआ था। बुर्का छोड़ देने का मुस्लिमों का निर्णय मेरे परिवार के पुरुषों ने स्वीकार किया था और उसे सम्मान दिया था।

वे स्वयं ही अपने भविष्य की निर्माता थीं। जब उनमें से बहुत सारी महिलाओं का पाकिस्तान जाना पड़ा, तब उन्होंने वापिस बुर्का पहनने की शुरूआत नहीं की थी। उन्हें राज्य द्वारा या उनके परिवारों द्वारा बुर्का पहनने या बुर्का छोड़ देने के लिए नहीं कहा गया था।

63 वर्षों के बाद 13/7/2010 को फ्रांस की संसद के निचले सदन ने सार्वजनिक स्थानों में मुंह ढकने हेतु बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके लिए हुए मतदान में 336 के विरुद्ध 1 मत से यह प्रतिबंध लागू हो गया था। वाम दल मतदान के समय उपस्थिति नहीं थे।

अपने प्रतिवेदन में फ्रांस की संसदीय समिति ने कहा था कि महिलाओं द्वारा अपना चेहरा ढकना फ्रेंच प्रजातंत्र के गैर-साम्प्रदायिकता व समानता के सिद्धांतों के विरुद्ध है और ऐसा व्यवहार महिलाओं के दमन तथा प्रतिवादी धर्मांधता का प्रतीक है। पानीपत और फ्रांस के बीच मुस्लिम महिलाओं और बुर्के के संदर्भ में क्या संबंध है? फ्रांस मानव अधिकारों की रक्षा के मामले मे विख्यात देश है। मेरी पीढ़ी के अनेक लोगों की भांति मैं भी फ्रेंच क्रांति की कहानियों और बेस्टिल किले पर हुए हमले, स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व के आदर्शों, मोन्टेस्क, शेक्सपियर, लुई 16वें, मेरी एंटोनेट तथा अतुलनीय गिलोटिन की कहानियों से प्रभावित थी।

पानीपत एक ऐसा स्थान था पर जहां पर अफगानिस्तान और ईरान के सूफी विद्वानों के कारवां आते थे। वे इस अंचल की बस्ती को अपने उपदेश सुनाते थे, जिसे सुनने और सीखने के लिए वो तैयार रहते थे। इस्लामी न्यायविद्या वहां विकसित हुई, लोग खुले आम धर्म के बारे में चर्चा करते थे और वे खुद अपने सिद्धांतों का अनुसरण करते थे। प्रत्येक व्यक्ति अपने-अपने ढंग से उनका अर्थग्रहण करता था।

आज पानीपत विकास की अनेक निशानियों के साथ विकासमान नगर है और ये निशानियां आपकी दृष्टि में आये बिना नहीं रहतीं। परंतु जिनके लिए यह विशिष्ट नगर था, वह अब उनके लिए अत्यंत अभिशापित बन गया है। महिलाओं की समस्याओं को अनसुना किया जाता है और समग्र देश में सबसे निम्न स्त्री-पुरुष औसत वाले नगरों में उसका भी समावेश होता है। पानीपत में महिलाओं को अत्यंत आदर दिया जाता था, परंतु इस समय देश में वह एक ऐसा जिला है, जहां बालकों में स्त्री-पुरुष लिंग अनुपात अत्यंत विकृत हो चुका है।

फ्रांस पिछड़े लोगों के अधिकारों के रक्षक के रूप में जाना जाता

है। उसने अब यह घोषणा की है कि 2.5 लाख मुस्लिम महिलाओं में से जो महिला चेहरे को ढकती हुई बुर्का पहनेगी उस पर 190 डॉलर का दंड किया जाएगा। परिवार के पुरुष अगर स्त्रियों को बुर्का पहनने को बाध्य करेंगे तो उन पर 37754 डॉलर का दंड किया जाएगा और साथ ही एक वर्ष की कैद की सजा दी जाएगी। अगर यह मसौदा सीनेट द्वारा पारित कर दिया जाएगा तो वह फ्रांस का कानून बन जाएगा। इस तरह यह कानून कम से कम थोड़े से फ्रेंच नागरिकों को इस हद तक अशक्त बना देगा कि वे कभी शक्तिशाली न बन सके। 1960 के दशक में जब फ्रांस की अर्थ व्यवस्था तेजी में थी तब फ्रांस ने वीजा संबंधी तमाम जरूरतें रद्द कर दी थी और अपने पूर्ववर्ती गुलाम देशों में से आने वाले लोगों के लिए अपने दरवाजे खोल दिये थे। फ्रांस के सेवा उद्योग में इन स्थालांतरितों ने सस्ते मजदूर के रूप में अपना योगदान दिया है। आमतौर पर होता है वैसे ही ये तमाम लोग राजधानी पेरिस के आसपास की अलग-अलग गंदी बस्तियों में रहने लगे।

उनके सामाजिक व आर्थिक समावेश के लिए तुलनात्मक रूप से बहुत कम अवसर रह गए थे। इन स्थलांतरितों में अधिकतर मुस्लिम थे। ये अंचल सबसे गरीब अंचल हैं और इस प्रतिबंध के कारण इस अंचल की महिलाओं पर सबसे अधिक विपरीत असर पड़ेगा। फ्रांस में इस तरह मुस्लिम महिलाएं दो प्रकार की मुसीबतों से त्रस्त होंगी।

एक तो वे अपने घरों में परंपरागत पहनावे को अनेक कारणों से पहनना पसंद करती हैं। दूसरे, अब वे घर से बाहर वे पहनावे नहीं पहन सकतीं, क्योंकि राज्य अब उन्हें वे पहनावे फेंक देने को कह रहा है। मुस्लिम महिलाओं का सशक्तिकरण करने और उन्हें सम्मानजनक स्थान दिलाने के फ्रेंच सरकार के पवित्र उद्देश्य की पूर्ति इससे बिल्कुल नहीं होगी।

एक ऐसी धारणा है कि मुस्लिम महिलाएं दबाव की वजह से ही बुर्का पहनती हैं। ऐसी मान्यता महिलाओं को तमाम स्वतंत्रताओं से वंचित कर देती है। बहुधा मुस्लिम महिलाएं अपनी धार्मिक पहचान के प्रतीक स्वरूप बुर्का नहीं पहनतीं, ऐसा भी नहीं कि पश्चिमी साम्राज्यवाद का विरोध करने के लिए वे बुर्का पहनती हैं। परंतु वे अधिक शालीन दिखना चाहती हैं इसलिए बुर्का पहनती है। शरीर किसी कार्य हेतु स्थल बनता है।

क्या यह संभव नहीं कि बुर्का पहनना अपने स्व के साथ आंतरिक संवाद साधने का प्रतिबिम्ब हो? यद्यपि, संवाद विषयक छोटे-छोटे मुद्दों के साथ हम सहमत हों या नहीं, यह नितांत पृथक मुद्दा है। क्या दमनकारी राज्य आंतरिक संवाद को थाम नहीं देता? राज्य शरीर संबंधी प्रतिभावों का इतने सरल तरीके से मूल्यांकन करे और अर्थग्रहण करे तो क्या ऐसा राज्य अज्ञानी नहीं कहा जाएगा?

यदि मुस्लिम महिला की अंतरात्मा उसे उसकी शालीनता के बतौर बुर्का पहनने को कहती है तो ऐसा कहा जा सकता है कि वह एक प्रतीक नहीं, परंतु वह उसके स्व का एक अंतरंग है। उसकी अपनी निष्ठा को भंग करने में राज्य की भूमिका क्या है? एम्स्टर्डम में एक मुस्लिम डॉक्टर का अनुभव ध्यान देने योग्य है। यूरोप में हजारों मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहनती है। उनमें से वह एक थी। जब उसने बुर्का हटा दिया तब उसे लगा कि उसके आसपास के सभी लोग उसके प्रति दया दर्शाने लगे। दुकानदार ने भी उसके साथ अत्यंत धीमे से बात की और वह वैसे बोलता था जैसे बालक शब्दों को बार-बार बोलता हैं। यदि वह दुकान में कोई त्रुटिपूर्ण साधन बदलवाने जाए तो दुकान का मैनेजर उसे आधुनिक कहकर धमकाता था।

मैनेजर का इस्लाम विषयक भय और उसका रुझान यथावत रहेगा, लेकिन जो स्त्री अपने प्रति सच्ची रहेगी, वह दुकान नहीं जा सकेगी। फ्रांस के कुछ मुस्लिम राजनीतिज्ञों में से एक महिला सीनेटर बारिजा खायरी को ऐसा भय है कि इस तरह अगर कुछ महिलाओं को लक्ष्य बनाया जाता है तो वे बाजार से खिसक कर घर में कैद हो जाएंगी। उसने कहा कि शिक्षण संबंधी व्यवस्थाएं करने के बजाय हम प्रतिबंध लगा रहे हैं, जो खेदजनक है।

मैं मुस्लिम महिला हूं और अल्लाह में विश्वास रखती हूं। फिर भी मैं बुर्का या हिजाब पहनना नहीं चाहती। यह मेरी अपनी पसंद है। इस्लाम अपने आदेश ला इक्रफिदिन के बारे में बहुत स्पष्ट है। धर्म में अनिवार्यता जैसा कुछ नहीं है। इस्लाम में कोई निश्चित पहनावा नहीं हैं। उसका आदेश सिर्फ इतना हैं कि स्त्रियों व पुरुषों को गौरवपूर्ण पोषाक धारण करनी चाहिए। अत: मैं अपने पहनावे या व्यवहार को लेकर किसी भी व्यक्ति या संगठन के आदेश का विरोध करती हूं।

गुजरात में शाला सुरक्षा के प्रयास

गुजरात में सन् 2001 में आये भूकंप के दौरान शालाओं को जबर्दस्त नुकसान हुआ और बालकों व शिक्षकों की भारी जनहानि भी हुई। तदुपरांत 'गुजरात में शाला - सुरक्षा प्रयास' नामक एक अभियान भी हाथ में लिया गया। उस दौरान किये गए शाला सुरक्षा के प्रयासों का आलेखन 'उन्नति' द्वारा 2008-09 में किये गए अध्ययन के आधार पर व्यापक दृष्टिकोण के साथ उसे यहां प्रस्तुत किया जा रहा है। शालाएं किस तरह विपत्ति का सामना करें और समुदाय तक विपत्ति के मुकाबले की तैयारी को किस तरह फैलायें, यही इस प्रयास का उद्देश्य रहा था।

प्रस्तावना

दुनिया भर के अतीत के अनुभव यह दर्शाते हैं कि जब शाला समय के दौरान विपदा आती है तब शाला के बालकों को सबसे ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। 2001 में भूकंप के दौरान गुजरात में 971 विद्यार्थियों और 31 अध्यापकों की मुत्यु हुई थी। म्यांमार में नरगिस तूफान में 40 प्रतिशत पीड़ित बालक थे। पीड़ितों की सूचना का विश्लेषण यह बताता है कि बालिकाओं पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है।

सामान्यतया विपत्तियों का सामना करने की शालाओं की क्षमता बहुत कम होती है। राष्ट्रीय भूकंप टेक्नोलोजी सोसाइटी, नेपाल का एक अध्ययन बताता है कि 900 शालाओं में से 60 प्रतिशत शालाओं का निर्माण कार्य ही कमजोर था और वे निचले क्षेत्रों में थी। समुदाय तक जानकारी पहुंचाने का एक महत्त्वपूर्ण साधन है शाला। बालक समाज तक जानकारी ले जाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ह्योगो फ्रेमवर्क फोर एक्शनः 2005-15 को विश्व के 168 देशों ने स्वीकार किया है। उसमें दो महत्त्वपूर्ण मुद्दे हैंः (1) शालाओं के द्वारा सुरक्षा को प्रोत्साहनः आने वाले कल को सुरक्षित व सलामत बनाने के लिए शालायी शिक्षण का उपयोग करना (2) शाला की सुरक्षा को प्रोत्साहनः विविध संकटों का मुकाबला पर्याप्त मात्रा में कर सकने वाली शालाएं बनाना ताकि वहां आने वाला कल सलामत रहे।

भारत विश्व के उन 33 देशों में शामिल है, जिसने शालायी अभ्यासक्रम में आपदा-संचालन विषय को स्थान दिया है। 2004 में तमिलनाडु के कुंभकोणम् की शाला में भयंकर आग लगी थी। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार व राज्य सरकारों को आदेश दिया कि शाला में बालकों की सुरक्षा हेतु समयबद्ध योजनाएं बनाई जाएं। भारत सरकार ने तब एक मार्गदर्शक योजना बनाई। उसमें दो स्तरीय योजना की समावेश हैः (1) जिला स्तरीय शाला सुरक्षा योजना (2) विपत्ति के मुकाबले की तैयारी और प्रतिक्रिया विषयक शाला स्तरीय योजना।

'गुजरात शाला सुरक्षा प्रयास' के विविध पहलुओं को समझने का प्रयास यहां किया गया है। जामनगर जिले में उसकी जो कार्यवाही हुई है उसे यहां दर्शाया गया है। जिले में 10 तहसीलें हैं और राज्य की 7.21 प्रतिशत आबादी जिले में रहती है। गुजरात के 2001 के भूकंप में शालाओं के 8000 कमरे नष्ट हो गए थे। और 42000 कमरों को क्षति पहुंची थी। गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन अभिकरण (जी.एस.डी.एम.ए.) और एक गैर सरकारी संगठन 'सीड्स' द्वारा 'गुजरात शाला सुरक्षा प्रयास' की शुरूआत की गई।

शाला सुरक्षा

विपत्ति का सामना करने की तैयारी के साथ संबंधित प्रवृत्तियों को बड़ौदा की 35, अहमदाबाद की 100 तथा जामनगर की 15 शालाओं में हाथ में लिया गया। गुजरात के सभी 25 जिलों में एक मॉडल शाला विकसित की गई। इस प्रयास में निजी व सरकारी दोनों शालाओं का चयन किया गया। 1725 शिक्षकों और 7500 विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया। शाला आपदा संचालन योजनाएं सभी जिलों में निर्मित की गई और अभ्यासक्रम में भी संशोधन किया गया। इसके परिणामस्वरूप 175 शालाओं के लगभग

सुरक्षित शाला का अर्थ?

सुरक्षित शाला वह शाला है जो संकट मुक्त इलाके में हो अथवा वह किसी भी परिस्थिति में टिकी रहने वाली हो। विपत्ति आये तो सुरक्षित शाला नहीं गिर पड़े।

जमीन के उपयोग के आयोजन से शुरू करके अनेक ढांचागत बातों का तथा आपदा के मुकाबले की तैयारी की योजनाओं के आधार पर सुरक्षित शाला निर्मित की जा सकती है। भूकंप, भूस्खलन, तूफान, धमाका, बाढ़, विषाक्तता आदि जैसी विपत्तियों के सामने टिक सकने वाली शाला बनाने का आयोजन पहले से ही होता है।

शालाओं की सुरक्षा में ढांचागत या गैर-ढांचागत दोनों पहलू महत्त्वपूर्ण हैं। ढांचागत पहलू भवन की सुरक्षा से संबंधित है, जबकि गैर-ढांचागत पहलू भवन के कब्जेदारों की सुरक्षा से संबंधित है।

ढांचा भवन का बोझ उठाता है, कॉलम और बीम भवन का पिंजर है और दीवार भवन की त्वचा है। गैर-ढांचागत वस्तुएं भवन का वजन नहीं ढोती हैं। ऐसी वस्तुओं में बिजली की चीजें, फर्नीचर, दीवारों पर लगी वस्तुएं पुस्तकों की रैक आदि वस्तुओं का समावेश होता है। शाला की ढांचागत व गैर ढांचागत चीजों के लिए अलग-अलग दिशानिर्देश हैं।

'गुजरात शाला सुरक्षा प्रयास' के उद्देश्य

(1) शालाओं में विपत्ति का सामना करने के लिए सुरक्षा का वातावरण निर्मित करना।
(2) ढांचागत व गैर-ढांचागत सुधार करके शालाओं में विपत्ति के जोखिम घटाना।
(3) शाला आपदा संचालन योजनां तैयार करना।
(4) शाला सुरक्षा क्लबों और कार्य दलों की स्थापना करना तथा उन्हें प्रशिक्षण देना।
(5) शाला के शिक्षकों और विद्यार्थियों आपदा संचालन विषयक मैन्युअल, खेल, एवं प्रवृत्तियों की किट प्रशिक्षण हेतु तैयार करना।
(6) शिक्षकों को प्रशिक्षण देना तथा प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण द्वारा कार्यक्रम को संस्थागत स्वरूप प्रदान करना।

1.05 लाख विद्यार्थियों को फायदा हुआ। 100 शिक्षकों को प्रशिक्षक के रूप में तैयार किया गया और लगभग 9000 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। इस सम्पूर्ण प्रयास में दो मुद्दों को शामिल गया:

(1) बालक, शिक्षक तथा माता-पिता विपत्ति का सामना किस तरह करें, इसे समझें और उसके लिए तैयारी करें और शालाओं में विपत्ति के कारण होने वाले जोखिम को घटायें फिर, शीघ्रता की परिस्थिति में वे उचित रीति से प्रतिक्रिया देने में सक्षम बनें।
(2) शिक्षक विपत्ति संचालन के पहलुओं का मूल्य समझें ताकि वे बालकों को प्रभावी रीति से उसका शिक्षण दे सकें।

1. विपत्ति के समय सुरक्षा के बारे में जागृति अभियान।
2. शाला सुरक्षा के विषय में उदाहरण और मॉक ड्रिल।
3. शोध एवं बचाव कार्य, प्राथमिक उपचार, समन्वय और सुरक्षा मुद्दों के संबंध में प्रशिक्षण।
4. भूकंप के दौरान शाला भवन टूट न जाएं इस हेतु उपाय।
5. प्रत्येक कक्ष से बालकों को निकालने की योजना।

इस प्रकार 'गुजरात शाला सुरक्षा प्रयास' में दो महत्त्वपूर्ण घटक थे:

(1) विपत्ति के सामने की तैयारी के साथ संबंधित प्रवृत्तियों का सीधा क्रियान्वयन।
(2) क्षमतावृद्धि द्वारा मध्यस्थता को संस्थागत स्वरूप प्रदान करना।

राज्य सरकार के शिक्षण तंत्र द्वारा संस्थाकरण

गुजरात राज्य आपदा संचालन प्राधिकरण के द्वारा जिला कलेक्टरों हेतु मार्गदर्शक बिंदुओं की घोषणा की गई है। इसका कारण यह था कि जिले की तमाम शालाओं को कलेक्टर कार्यालय द्वारा अपनी परिधि में लिया जा सके। उनके सुरक्षा विषयक कार्यक्रमों में आग, बाढ़, तूफान, धक्कामुक्की, भूकंप, सड़क दुर्घटना, मकान गिरना, उत्सव संबंधी विपत्ति तथा पर्यावरणीय आपात स्थिति जैसी विपत्तियों को शामिल किया गया है। कलेक्टर ने फिर शालाओं को किन-किन मामलों में ध्यान रखना उनसे संबंधित मुद्दों को समेटने वाली एक सूची जाहिर की थी।

शाला की सुरक्षा विषयक प्रयास में जिला आपदा संचालन कार्यालय ने कार्यालय ने महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। उनमें निम्न कदम महत्त्वपूर्ण थे:

(1) द्रुत सर्वेक्षण:

शाला की सुरक्षा विषयक मापदंडों के अनुसार शालाओं का सर्वे किया गया उनमें ढांचागत व गैर-ढांचागत बातों को ध्यान में लिया गया था। जामनगर जिलो में तीन-तीन व्यक्तियों की बनी सात टुकड़ियों ने यह काम किया। प्रत्येक टुकड़ी को 35 से 40 शालाएं सौंपी गई थीं। एक ही सप्ताह में यह सर्वेक्षण पूरा कर दिया गया था।

(2) विश्लेषण:

प्रत्येक शालावार सूचना इकट्ठी की गई और शाला की सुरक्षा विषयक स्तरों के अनुसार शाला है अथवा नहीं, इसका विश्लेषण किया गया। जामनगर में जिन 52 शालाओं ने सूचनाओं का पालन नहीं किया था उनको सील कर दिया गया था।

(3) प्रशिक्षण:

शालाओं को आपदा संचालन के लिए व्यापक प्रशिक्षण दिया गया था। यह प्रशिक्षण अलग-अलग समय के अंतराल से दिया गया। गांव, तहसील और जिला यों तीनों स्तरों पर प्रशिक्षण आयोजित किया गया था। प्रत्येक समूह को इन तीनों स्तरों की प्रशिक्षण में जोड़ा गया था। प्राथमिक उपचार, शोध तथा बचाव जैसे विषयों को भी इसमें शामिल किया गया था। तमाम माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक शालाओं को प्रशिक्षण में शामिल किया गया था। अग्निशामक अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी तथा जिला स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा यह प्रशिक्षण दिया गया था।

सीख

गुजरात शाला सुरक्षा प्रयास के आधार पर क्या करें और क्या न करें यह बात समझ में आई। इस संबंध में महत्त्वपूर्ण मुद्दे निम्न हैं:

1. व्यूहात्मक

(11) नीतियों, व्यूहरचनाओं, लक्ष्यांको और निर्देशकों के द्वारा अनुकूल वातावरण उत्पन्न करने में सरकार की महत्त्वपूर्ण भूमिका है।

(2) शाला सुरक्षा हेतु लंबी अवधि की योजना की जरूरत है ताकि संस्थागत स्वरूप दिया जा सके।

(3) विविध सरकारी विभागों के बीच अनवरत समन्वय होना चाहिए।

(4) सार्वजनिक जागरूकता विकसित करके रखवाले के रूप में मीडिया महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।

(5) स्थानीय स्वशासी संस्थाओं की वार्षिक योजना और बजट में आपदा जोखिम घटाने का समावेश होना चाहिए। पंचायतों और पालिकाओं को इस संबंध में संवेदनशील बनाये जाने की जरूरत है।

(6) शालाओं के संचालन, माता-पिता या अभिभावक, शिक्षक और बालक मुख्य हितधारक है। संचालको को चाहिए कि भवनों को सुरक्षित बनवायें, शिक्षकों की क्षमता-निर्माण किया जाना चाहिए और आपदा निवारण के मुद्दों का पाठ्यक्रम में समावेश करना चाहिए। अभिभावकों और बालकों को प्रेरणा देने और शामिल करने की व्यूहरचनाएं विकसित की जानी चाहिए।

(7) शाला को केन्द्र में रखकर अग्रिम चेतावनी की व्यवस्था बनानी चाहिए।

(8) तमाम शालाओं के लिए शाला संचालन योजनाएं और सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य बनें।

2. ढांचागत सुधार

(1) शाला के वर्तमान भवन का ढांचा कैसा है, इसे जांचना-संभालना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। सरकार को तमाम शाला-भवनों का मूल्यांकन करना चाहिए। यह भी देखना चाहिए कि नयी शालाएं ढांचागत दृष्टि से सलामत हो।

(2) छज्जों और छतों में दरारों को लेकर नियमित रूप से निगरानी होनी चाहिए। विशेष रूप से वर्षा ऋतु से पूर्व यह निरीक्षण होना ही चाहिए। पानी भरता हो तो शॉर्ट सर्किट और अलग लगने की आशंका रहती है।

(3) शालाओं के पास फुटकर राशि होनी चाहिए। शाला भवन के निर्वाह और मरम्मत के लिए उसमें से खर्च करने की स्पष्ट लिखित व्यवस्था होनी चाहिए।

3. गैर ढांचागत सुधार

(1) सामान्यतया भवन के ढांचे के अतिरिक्त मामलों में जो असहायता उत्पन्न होती है, उसके प्रति लापरवाही बढ़ती जाती है। इस मुद्दे को विद्यालय-निरीक्षकों द्वारा की

जामनगर की कुछ शालाओं में नवीन अभिगम व उपाय

हरिया स्कूल

हरिया स्कूल ओसवाल ट्रस्ट द्वारा चलाई जाने वाली एक निजी शाला है। शाला की प्रत्येक मंजिल पर 9 किग्रा और 4 किग्रा के दो अग्निशामक है। उनके उपयोग की अंतिम तिथि की नियमित रूप से देखभाल होती है। सभी कमरों में छह दरवाजे हैं: दो पीछे, दो बगल में और दो आगे। शाला के दरवाजे पर चौकीदार रहते हैं पर उन पर ताले नहीं लगाये जाते या वे बंद नहीं किये जाते। शाला में तीन सीढ़ियां हैं - दो माध्यमिक शाला हेतु और एक प्राथमिक शाला हेतु।

विविध कक्षाओं के लिए दरवाजे आवंटित है ताकि धक्का-मुक्की न हो। प्राथमिक शाला की कक्षाएं तहखाने और पहली मंजिल पर रखी गई हैं। शाला आपदा संचालन योजना तैयार की गई है। पूरा भवन सिर्फ तीन मिनट में खाली हो सकता है। ग्रंथालय में आपदा को लेकर एक पृथक विभाग है।

प्रत्येक मंजिल पर एमसीबी है। पहली मंजिल पर जनरेटर और इन्वर्टर रखे गए हैं। दीवारों पर कुछ नहीं लटकाया गया ताकि बालकों को चोट न लगे। रसायनशास्त्र प्रयोगशाला कक्षा से दूर है। प्रयोगशाला सहायकों को अग्निशमन केन्द्र से प्रशिक्षण मिला है।

शाला में इलैक्ट्रिशियन और प्लंबर आदि की एक स्थायी प्रबंधक समिति है। डॉक्टरों के फोन नंबर की सूची तैयार है। प्रत्येक मंजिल पर प्राथमिक उपचार किट है।

भूगर्भ पार्किंग में पानी भर जाने की समस्या है, लेकिन चौकीदारों को सूचना मिलते ही वहां के रास्ते बंद कर दिये जाते हैं और पंप द्वारा पानी बाहर निकाल दिया जाता। अगर तेज वर्षा हो तो शाला छुट्टी घोषित कर देती है अथवा बालकों को घर भेजने के लिए अपनी बस सेवा का उपयोग करती है।

ठेबा गांव की शाला

ठेबा गांव की शाला को एक आदर्श शाला के बतौर विकसित किया गया है। शाला में 12 गांवों के 300 बालक है। 1990 में इस शाला का भवन निर्मित हुआ था। 2001 में उसे थोड़ा नुकसान पहुंचा था और उसकी मरम्मत की गई।

आपात स्थिति के लिए सम्पर्क करने के फोन नंबर शाला में उचित रूप से लिखे गये हैं और विद्यार्थियों को उनके बारे में जानकारी दी गई है। शाला में एक अग्निशामक यंत्र हैं और उसका उपयोग करने के लिए एक शिक्षक को प्रशिक्षण दिया गया है। किसी भी तरह की विपत्ति के समय कदम उठाने संबंधी विविध पोस्टर शाला में लगाये गये हैं। सारे तारों को ढंग से बंद किया गया है। कार्यदलों का गठन किया गया है और नियमित रूप से विद्यार्थी मॉक ड्रिल में शामिल होते हैं। तेज वर्षा के समय छुट्टी घोषित की जाती है। एनसीसी, एनएसएस तथा रेडक्रॉस को विद्यार्थियों व शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

शाला के पहले दिन माता-पिता के साथ एक परिसंवाद आयोजित किया जाता है। उसमें उनके साथ आपदा-निवारण विषय पर बातचीत की जाती है। विविध मेलों में शाला भाग लेती है और आपदा निवारण के विविध उपायों का प्रदर्शन प्रस्तुत करती है.

सामुदायिक संकट के समय शाला योगदान देती है। बाद के समय जिन लोगों के घर डूब गये थे, उनको उसने आश्रय दिया था। सूरत में जब बाढ़ आई थी, तब वहां राहत कार्य के लिए शाला की एक टुकड़ी गई थी।

जाने वाली देखरेख में शामिल किया जाना चाहिए।

(2) शाला भवन के अलग-अलग स्थानों तक पहुंच कैसी है इसका मूल्यांकन होना चाहिए। कामचलाऊ आश्रय के लिए कौनसा स्थान हो, यह निश्चित होना चाहिए।

(3) अग्नि सुरक्षा के माध्यमों का क्रियान्वयन होना चाहिए। प्रत्येक शाला में अग्निशामक हो और उसका उपयोग करने के लिए किसी को प्रशिक्षण दिया गया हो।

(4) गैस स्टोव या सिलेण्डर को लेकर सावधानी बरती जाए।

(5) सीढ़ियां और ढाल वाले मार्ग उपयोग हेतु पर्याप्त मात्रा में हों। यह महत्वपूर्ण है कि धक्कामुक्की न हो।

(6) लगातार बाढ़ या पानी भरने की जगह पर शाला हो तो उसे ऊंचाई पर होना चाहिए।

(7) छतों पर जाने के लिए सीढ़ियां हों। बहुत संकड़ी न हों।

शाला सुरक्षा के प्रयास

ऑल इंडिया डिजास्टर मैनेजमेन्ट इंस्टीट्यूट द्वारा देश में 300 से भी अधिका शालाओं में शाला सुरक्षा प्रयास हाथ में लिया गया था। उसके द्वारा हाथ में ली गई प्रवृत्तियां निम्नानुसार हैं:

1. अग्नि सुरक्षा के साधन का प्रदर्शन तथा उसे शाला में रखना।
2. प्राथमिक उपचार के किट का वितरण।
3. विद्यार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए कम प्रीमियम का बीमा जो मात्र शाला अवधि तक ही सीमित न हो।
4. स्थानीय भाषा में जागरूकता विषयक सामग्री तैयार करना और उसका प्रसार करना।
5. शाला सुरक्षा हेतु प्रशिक्षण।
6. भवन के ढांचे में सुधार विषय मांग उपलब्ध हो तो सहयोग प्रदान करें।
7. जरूरतमंद विद्यार्थियों को आर्थिक सहयोग।

(8) शाला के बाहरी रास्तों पर उभार (बम्प) रखवायें।

(9) पर्याप्त मात्रा में शौचालय हों।

(10) प्रत्येक शाला में आपात दशा में सम्पर्क हेतु फोन नंबर ऐसे लिखवायें ताकि सबको दिख सकें।

(11) प्राथमिक शाला में बालकों हेतु खास योजनाएँ।

शाला आपदा संचालन योजना

इस योजना के उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

- आपदा के समक्ष शाला को सुरक्षित बनाना।
- शाला में आपदा का जोखिम घटाने हेतु प्रवृत्तियों का आयोजन करना और उनका क्रियान्वयन करना।
- आपदाओं का सामना करने के लिए प्रभावी तैयारी करना और योगदान देना।
- विद्यार्थियों, शाला के स्टाफ तथा माता-पिता को प्रशिक्षण देना तथा आपदाओं के प्रति जागरूकता पैदा करना।
- स्थानीय सरकारी कार्यालयों तथा अन्य तत्काल सेवाओं के साथ समन्वय करना।

शाला आपदा संचालन समिति द्वारा यह योजना की जाती है। 'सीड्स' के कार्यकर्त्ताओं ने शाला-संचालकों से संपर्क साधा तथा उन्हें शाला आपदा संचालन के विषय में जानकारी प्रदान की। तब उन्होंने शाला के अधिकारियों को बताकर शाला आपदा संचालन समिति का गठन किया।

इसके बाद समिति के सदस्यों हेतु एक कार्यशाला आयोजित की गई और योजना तैयार की गई। शाला आपदा संचालन योजना में निम्नानुसार बातों का समावेश हैं:

1. शाला के आधारभूत तथ्य।
2. शाला आपदा संचालन समिति के सदस्यों की सूची और उनसे सम्पर्क।
3. आपदा संचालन के उद्देश्य और चरण।
4. प्रत्येक चरण के दौरान विविध हितधारकों की भूमिकाएं और दायित्व।
5. जो शालायें संकटों का सामना करती है, उनका विश्लेषण।
6. बाहरी असहायता, जोखिमों का नक्शा और संभावित समाधान का विश्लेषण।
7. ढांचागत असहायताओं का विश्लेषण और संभावित समाधान।
8. बाहर प्राप्त सुविधाओं का विश्लेषण और संसाधनों का नक्शा।
9. लोगों के तत्काल स्थलांतर हेतु योजना।
10. तत्काल मदद हेतु वर्तमान साधन-सामग्री एवं सुविधाओं जैसे संसाधनों का विश्लेषण और जरूरतों की पहचान।
11. कार्यदल के समदस्यों की सूची।

शाला के आपदा संचालन हेतु निम्नानुसार कार्यदलों का गठन किया जाए:

(1) चेतावनी और जागृति कार्यदल (2) स्थलांतर कार्यदल (3) शोध एवं बचाव कार्यदल (4) प्राथमिक उपचार कार्यदल (5) अग्निसुरक्षा कार्यदल

बाल सभाओं द्वारा समुदाय का शिक्षण

आंध्र प्रदेश के प्रकाशम् जिले की चिशला तहसील के सागर तट का एक गांव वियोदारेवुं है। इस गांव में ज्यादातर मछुआरे रहते हैं। सुनामी की वजह से गांव के घरों और सम्पत्ति का जबर्दस्त नुकसान हुआ था, हालांकि जनहानि नहीं हुई थी। गांव को बार-

बार तूफान और बाढ का सामना करना पड़ता है। समुद्र में जबर्दस्त ज्वार आए तो मछुआरों के जीवन और जीवन निर्वाह पर भारी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बालक साधारण तौर पर अपने माता-पिता की मदद किया करते हैं। गांव में बाल सभाओं और शाला समितियों का गठन किया गया और विपत्ति के मुकाबले की शाला-आधारित तैयारी की शुरूआत की गई। सुभाषचंद्र बोस बाल सभा ने शाला सुरक्षा जाल नक्शा तैयार किया। उसमें शाला की कक्षाएं, दफ्तर, चिकित्सा किट, अग्निशामक तथा शाला-भवनों के बाहर पानी की टंकी, ढलुवां क्षेत्र, घासवाली जमीन इत्यादि सारे स्थान दर्शाये। शाला के भीतर व बाहर का संकटों का नक्शांकन हुआ। शाला के पास के खूब ट्रेफिक वाला रास्ता, प्रांगण में निचाई वाला क्षेत्र या जिसमें वर्षा के समय पानी भरता है और मच्छर पैदा होते हैं।

शाला समिति में 30 विद्यार्थी लिये गए। उन्हें चेतावनी, बचाव, प्राथमिक उपचार आश्रय संचालन व पुनर्वास के विषय में प्रशिक्षण दिया गया। पांच समितियों का गठन किया गया। प्रत्येक में पांच सदस्य थे। पोस्ट बॉक्स समिति ने सभी समितियों के काम की समीक्षा की और सुधार हेतु आवश्यक सुझाव दिये। गांव के समग्र समुदाय के समक्ष शाला के बालक प्रदर्शन करते हैं। सर्वप्रथम वे गांव के सामाजिक संसाधनों का नक्शा समझाते हैं। उसमें संभावित संकट, प्राप्य आधारभूत सेवाओं व संकट के समय बचाव हेतु आश्रय स्थल का उल्लेख है। गांव में पहले कब विपत्ति आई थी, गांव में उत्सव आते हैं, ग्रामवासियों, के व्यवसाय क्या-क्या हैं और संकट संभावित ऋतुएं कौन-कौन सी हैं, उसे वे इस प्रदर्शन में दर्शाते हैं। उसके बाद बालक शाला सुरक्षा प्रयास के अधीन गठित विविध समितियों के कार्य समझाते हैं।

पृष्ठ 7 का शेष

योजना हो और विविध व्यक्तियों व समूहों के बीच जिम्मेदारियां बांट दी गई हों तो विपत्ति का सामना अधिक अच्छे तरीके से हो सकता है।

चुनौतियां

लोक आधारित आपदा प्रबंधन को सफल बनाने में कुछ मर्यादाओं और अड़चनों - कठिनाइयों को समझना भी जरूरी है।

1. वित्तीय आवंटनः अन्य योजनाओं की तुलना में इन कामों को अल्प प्राथमिकता दी जाती है।
2. जानकारी और क्षमताः इस अवधारणा को साकार करने के लिए अपर्याप्त समझ और जागृति का प्रभाव रहता है। इसके लिए कोई विशेष पद्धति वाली प्रशिक्षण रूपरेखा या कोई निश्चित दिशा देखने में नहीं आती।
3. वर्तमान ढांचाः विपत्ति को कम करने में वर्तमान तंत्र राहत एवं बचावपरक है जिसमें संकट घटाने की बात नहीं की गई।
4. विविध हितधारियों के बीच संस्थागत संबंधः आपदा प्रबंधन हेतु विविध हितधारकों के मध्य कोई विशेष समन्वय देखने में नहीं आता।
5. राजनीतिक प्रतिबद्धताः आपदा प्रबंधन का मुद्दा राजनीतिक प्रसिद्धि पाने हेतु कोई विशेष आकर्षण पैदा नहीं करता। फिर सरकार में बार बार परिवर्तन, राजनीतिक नेतृत्व और अधिकारियों की अदला-बदली भी कारण बनती है।
6. रुझान/व्यवहारः राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तर पर नीति बनाने वाले व्यक्तियों का नकारात्मक रुझान भी इस अवधारणा हेतु घातक है। वे मानते हैं कि लोग कुछ भी नहीं कर सकते।
7. काम अधूरा छोड़नाः लोक-आधारित आपदा-प्रबंधन लंबी अवधि की प्रक्रिया है जिसमें अपनी निरंतरता जरूरी है। एक जिम्मेदारी पूरी हो जाने पर संस्थाएं नए काम में लग जाती हैं।
8. संस्थागत स्वरूप का प्रभावः वर्तमान में इस प्रवृत्ति को बल मिले, इस हेतु संस्थागत स्वरूप देखने में नहीं आता। संस्थाएँ वांछित समय प्रदान नही करतीं।
9. जरूरी संख्याबल का प्रभावः आपदा प्रबंधन की इस विचारधारा को समझने वाले अनुभवी और समर्पित कार्यकर्ता बहुत कम हैं।

स्रोतः 'उन्नति' द्वारा प्रकाशित अंग्रेजी पुस्तक 'डिजास्टर रिस्क रिडक्शन' और अप्रकाशित अंग्रेजी दस्तावेज 'कम्युनिटी मैनेज्ड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन प्लान।'

स्वास्थ्य परिवीक्षणः आइडियल का अनुभव

गुजरात में 2001 में आये भूकंप के बाद 'इंस्टिट्यूट ऑफ डेवलपमेन्ट एज्युकेशन एंड लर्निंग' (आइडियल) द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर घायलों के स्वास्थ्य की जरूरतें पहचान कर जानकारी की व्यवस्था करने एवं स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं देने वालों को प्रदान की गई थीं। उससे संबंधित एक लघु दस्तावेज 'उन्नति' की **सुश्री स्वप्नी शाह** और **श्री किरीट परमार** द्वारा अंग्रेजी में तैयार किया गया है। उसका सारांश यहां प्रस्तुत है।

प्रस्तावना

गुजरात में 2001 में भूकंप आया, तदुपरांत आइडियल (इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेन्ट एज्युकेशन एंड लर्निंग) द्वारा भूकंप में घायल लोगों के स्वास्थ्य की जरूरतों को पहचानने के लिए तथा स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने वालों के साथ पीड़ितों को जोड़ने के लिए स्थानीय सूचना व्यवस्था उत्पन्न की गई।

जिनकी स्वास्थ्य की जरूरतों के प्रति सामान्यतया ध्यान नहीं दिया जाता, ऐसे सर्वाधिक असहाय लोगों तक राहत एवं पुनर्वास में शामिल संगठनों एवं नेटवर्क द्वारा पहुंचा गया। श्री अशोक भार्गव, डॉ. लता शाह और डॉ. दिलीप मावलंकर द्वारा स्थानीय कार्यकर्त्ताओं और संसाधनों का उपयोग करके यह व्यवस्था की गई थी।

चोटग्रस्तों के स्वास्थ्य की देखभाल की जरूरतें

भूकंप की वजह से बहुत लोगों का विस्थापन हुआ। वे अस्थायी रूप से अन्य स्थानों में जा बसे जहां आबादी की सघनता अधिक थी। वहां अनाज, घास-चारे, पेयजल और सफाई की व्यवस्था पर्याप्त थी। अपर्याप्त पोषण तथा इस स्थिति के कारण दस्तों, मलेरिया, चेचक, टीबी, एचआईवी/एड्स और दमे जैसे रोग फैले। आपात स्थिति में स्वास्थ्य की व्यवस्था को ही भारी नुकसान होता है, यही बराबर काम नहीं करती, क्योंकि तमाम सुविधाओं और लोगों तथा उनके परिवारों को भारी नुकसान पहुंचा होता है।

स्वास्थ्य परिवीक्षण की व्यवस्था स्वास्थ्य अधिकारियों को सार्वजनिक स्वास्थ्य की प्रभावी दस्तंदांजी करने हेतु योजना बनाने में सहायक है। विपत्ति के कारण स्वास्थ्य को जो नुकसान होता है वह दूर करने में या उसे रोकने में वह मदद देता है। उसमें स्वास्थ्य के जोखिम का अनुमान करने के लिए विधिवत विश्लेषण कराया जाता है, ताकि स्वास्थ्य के विपरीत प्रभावों का प्रारंभिक चरण में ही पता लग जाए। भावी आयोजन के लिए वह स्थानीय परिस्थिति एवं सुविधाओं की सूचनाएं प्रदान करता है। इस प्रकार स्वास्थ्य की निगरानी व्यवस्था आयोजन का एक साधन है और नियंत्रण के उपायों का मूल्यांकन करने में वह मदद कर सकता है।

स्वास्थ्य के परिवीक्षण की प्रक्रिया

भूकंप के बाद चोटों और आघातों की देखभाल करना सबसे गंभीर व तत्कालिक स्वस्थ्य जरूरत होती है। बचाव, तबदीली व अपर्याप्त देखभाल के कारण घाव गंभीर रूप धारण कर लेते हैं और स्थायी अपंगता भी आ सकती है। बहुत दूर स्वास्थ्य देखभाल सेवा मिलती हो तब भी परिस्थिति गंभीर बन जाती है। इसी से संस्था ने चोटग्रस्त लोगों को पहचान की जरूरत पर बल दिया। मरीजों को पहचाना गया। जिन अस्पतालों में घायलों को भर्ती कराया गया था उनका दौरा किया गया।

जल्दबाजी में अस्थावस्थ्यकर परिस्थिति में फ्रेक्चर का उपचार किया गया था और घाव पर पट्टियां बांधी गई थी। फीजियोथैरेपी करने के लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं थी। सरकारी अधिकारी तो मानते थे कि 'लोग चलेंगे तो ठीक हो जायेंगे।' स्थानीय सरकारें यह मानती थी कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सरकार का काम है, और चोट तो व्यक्ति को लगी होती है अतः यह उसके कार्यक्षेत्र में नहीं आता।

परिणामस्वरूप, घाव को किस तरह साफ करना, ड्रेसिंग किस तरह करनी, 60 दिनों बाद प्लास्टर किस तरह खोलना, फीजियोथैरेपी

उत्तम निगरानी व्यवस्था के लक्षण

1. सरलता और निश्चितता:

समय व्यर्थ गंवाये बिना और अन्य कामों में समय का उपयोग किये बिना सम्पूर्ण व्यवस्था के वांछित परिणाम आने चाहिए। यदि उद्देश्य स्पष्ट हो तो यह संभव है। यथा संभव दोहराना टाला जाना चाहिए। सूचना इकट्ठी करने के तथा दस्तावेज सहेजने के प्रपत्र समझने में आसान होने चाहिए। आसानी से अर्थग्रहण लायक होने चाहिए ताकि भूल होने की संभावना न रहे। एक ही सूचना बार-बार न आये, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। प्रत्येक सूचना सरल व सीधी होनी चाहिए।

2. लचीलापन:

सूचना बराबर बदलती रहती है, अत: व्यवस्था ऐसी हो कि जिसे उसमें शामिल किया जा सके।

3. सतत:

निगरानी और काम के स्तर के मध्य उचित संबंध होना जरूरी है। बहुधा वे एक साथ भी हो सकते हैं।

4. स्वीकार्यता:

उपयोग में लेने वालों, समुदाय व सरकार तथा स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सहायक संगठनों के निर्णायकों को व्यवस्था से जिन परिणामों की जरूरत हो वे उन्हें मिलने चाहिए। उसमें संशोधन हेतु मुक्त मन से सुझाव स्वीकारे जाने चाहिए। डेटा एंट्री हेतु प्रपत्र बनाने और मूल्यांकन करने में स्टाफ को शामिल करना चाहिए ताकि ये प्रपत्र भरना उन्हें आसान लगे और वे उनके प्रयोजन को समझ सकें।

5, विश्वसनीयता:

उपयोगकर्त्ताओं में ऐसा विश्वास होना चाहिए कि सूचनाएं सत्य हैं। विश्वसनीय सूचना में उच्च स्तर की संवेदनशीलता होती है। याने जो अत्यंत महत्त्व की घटनाएं नहीं हैं, उनको ध्यान में नहीं लिया जाता। सभी घटनाओं को समेट लेने से विश्वसनीयता उत्पन्न नहीं होती है। परंतु तमाम प्रकार के संयोगों में जो चोटें लगी हों तो उन सबको शामिल किया जाना चाहिए। प्रतिनिधि रूप नूमने के चयन से यह संभव हो सकता है।

6. व्यावहारिक और वहनीय:

स्टाफ और बजट पर गैर जरूरी बोझ नहीं पड़ना चाहिए।

7. टिकाऊपन:

न्यूनतम मेहनत से व्यवस्था काम करनी चाहिए और उसे सहेजना और उसे आधुनिकतम बनाना आसान होना चाहिए। जब जरूरी हो तब अद्यतन सूचना मिलनी ही चाहिए।

8. संवेदनशीलता:

लोगों को आसानी से प्रतिक्रिया देना चाहिए। निगरानी के विवरणों में व्यक्तियों संबंधी सूचना जाहिर नहीं होनी चाहिए। लोगों को मुसीबत में डालने वाली व्यक्तिगत जानकारी प्रगट नहीं होनी चाहिए। वह उनके जीवन या जीवन निर्वाह पर विपरीत असर डालने वाली भी नहीं होनी चाहिए।

पूरी करनी, कितने सर्जन उपलब्ध हैं, इत्यादि ऐसे अनेक प्रश्न खड़े होते थे। राहत कार्य में शामिल संस्थाओं के पास घायलों की संख्या नहीं थी, उनकी सूची तक नहीं थी। अत: सतत देखरेख व परिवीक्षण की आवश्यकता थी, मरहमपट्टी और पुनर्वास संबंधी जरूरतों का आकलन करने की जरूरत थी। अत: प्रभावित होने वालों की स्वास्थ्य परक जरूरतों के प्रति प्रतिभाव सुधारने हेतु सूचना इकट्ठी की गई। राज्य के 65 अस्पतालों में लगभग 7500 मरीजों के बारे में जनविकास व कच्छ नव निर्माण अभियान जैसे गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से यह जानकारी इकट्ठी की गई। रोगियों और डाक्टरों से इकट्ठी की गई। डॉक्टरों से इलाज के बारे में सलाह भी प्राप्त की गई।

सरकार के स्वास्थ्य विभाग को अस्पतालों से प्राप्त सूचना उपलब्ध कराई गई। इस सूचना में घायल व्यक्ति विषयक सूचना, चोट का समय व स्थान, चोट का प्रकार, प्राप्त इलाज आदि का समावेश था। भावी पुनर्वास के लिए प्रभावित व्यक्ति के व्यवसाय, उम्र, आवास, आदि के बारे में भी सूचना इकट्ठी की गई। उनकी जरूरतों के बारे में उनको ही पूछा गया था। अस्पतालों के पास केस के कागज नहीं थे और उपचार के बारे में सूचना प्राप्त करना मुश्किल था।

कुछ दृष्टांत

1. गुमीबहन (कंथ कोट)

पैंतीस वर्षीया गुमीबहन के घुटने और जांच के बीच की हड्डी में फ्रेक्चर हुआ था। घुटने में डिस्लोकेशन हुआ था अर्थात् हड्डी खिसक गई थी। भडभूजे ने उसका इलाज किया था। घुटने का जोड़ बिल्कुल खराब हो चुका था। गांव में एक कार्यकर्त्ता को फीजियोथैरेपी करते समय उसका पता चला। उसे सर्जरी का डर लगता था और परिवार से उसे कोई सहारा तक न था। 'आइडियल' के अनुरोध से सर्वोदय होस्पिटल बिहड़ा में गुजरात सरकार के स्वास्थ्य विभाग के सचिव ने एक आर्थोपेडिक सर्जन और एक एनेस्थेटिस्ट को भेजा था। ओपरेशन सफल हुआ, फिर फीजियोथैरेपी भी हुई और वह अच्छी हो गई।

2. रतनभाई पटेल (अधोई)

बत्तीस वर्षीय रतनभाई के दोनों पैरों में लकवा हुआ था। रोग ने मूत्राशय और पेट पर भी असर डाला था। उसे सर्वप्रथम एक टेम्पो में राधनपुर ले जाया गया था, जहां थोड़ा बहुत इलाज हुआ। दूसरे दिन अहमदाबाद के सिविल होस्पिटल ले आया गया और वहां ऑपरेशन हुआ। लेकिन रतनभाई की स्थिति खराब थी। उनके फोड़े हो गए थे, जिनकी उनको ज्यादा समझ नहीं पड़ी थी। वे बहुत गहरे न थे, पर संक्रमित हो गए थे। उन भागों पर दबाव न पड़े, ऐसी पद्धतियां उन्हें सिखाई गईं। इलाज बहुत धीमा था और वे हताश थे। मूत्रनली में संक्रमण हो गया था। अतः वे जो पानी पीते, उस पर बराबर ध्यान रखना जरूरी था। उन्होंने स्वयं ही एक चार्ट बनाकर देखरेख रखी। दिन में 4-5 बार केथेटर का उपयोग करने की सलाह दी गई, ताकि मूत्राशय में सूजन न आए। हर बार उपयोग के बाद सफाई करने की सलाह दी गई। चोट लगने से पहले वे जिस तरह से भोजन लेते थे, उसी तरह से उन्हें भोजन लेने को कहा गया। कुछ दिनों उनको कब्जी रही। उन्हें रेचक दवायें भी दी गईं और मल-निकासी की अन्य पद्धतियां भी अपनाई गई। उन्हें बिस्तर पर हिलने-डुलने की तथा कसरत करने की विधि बताई गई। उनके घर में कठहरी के साथ एक ढलान भी बनवाया गया। अन्य साधनों के साथ चलने हेतु प्रयास कराये गए। कुछ समय बाद वे वाकर लेकर चलने लगे। आज लंबी दूर जाने के लिए वे ट्राइसिकल का उपयोग करते हैं।

जिन घायलों को अस्पतालों से छुट्टी दी गई थी, उनके बारे में उनके गांवों से ही जानकारी प्राप्त की गई। ऐसा मालूम पड़ा कि बुनियादी सुविधा विहीन दूरस्थ गांवों के लोग भारी मुसीबत में थे। अपना घर छोड़कर इलाज कराने के लिए भी वे जाने को तैयार नहीं थे। प्रत्येक गांव से संबंधित सूचनाएं प्राप्त की गई और उनके पत्र में मरीजों की सूची, उनके मकान नंबर उनके व्यवसाय के साथ दर्ज किया गया। गांव में घायल लोगों का नक्शांकन किया गया।

चोटग्रस्तों की स्थिति

ग्रामवार सूचना एकत्र की गई और विश्लेषण कराया गया। उससे महत्त्वपूर्ण बातें प्रकाश में आई। भचाऊ तहसील पर सबसे अधिक असर पड़ा था। जिन 2057 पीड़ितों की जानकारी इकट्ठी कराई थी, उनमें से 911 मरीज भचाऊ नगर के थे। गांवों में नुकसान ज्यादा हुआ था। भूकंप से पहले फुटकर गांवों में स्वास्थ्य सेवाएं अपर्याप्त थीं।

सामान्य समय में भी रोगियों को इलाज हेतु बहुत दूर जाना पड़ता था। परिवहन की सुविधाओं का अभाव मुसीबतों में बढ़ोतरी करता था। ज्यादातर घायल अपने गांव में ही रहे थे। आवास की पर्याप्त सुविधा नहीं थी और बुनियादी सुविधाओं का अभाव था। बचाव कार्य के दौरान भी मुसीबतें बढ़ी थी। कारण यह था कि लंबी दूर जाना पड़ता था और वाहन सही नहीं थे। घायलों के एक्सरे लिये बिना ही प्लास्टर किये गये थे।

इसके अलावा, महिलाओं और बालकों की विशिष्ट समस्याएं खड़ी हो गई थी। मूत्रनली में संक्रमण की समस्याएं महिलाओं में पता चली। पानी की कमी और सूखी व गरम आबोहवा से महिलाओं और बालकों पर विपरीत असर पड़ता था। दस्ते, मलेरिया, चेचक, कंजेक्टिवाइटिस, निमोनिया, रतौंधी और ट्रेकोमा जैसे रोग सामान्य हो गए थे।

परिवीक्षण व्यवस्था के तरत यह तमाम सूचना प्राप्त की गई। फिर आइडियल के वाहन को डार्करूम बनाया गया। निदान शिविर भी लगाये गए। उसमें फीजियोथैरेपी की जरूरत या फिर से सही

स्वास्थ्य परिवीक्षण व्यवस्था के चरण

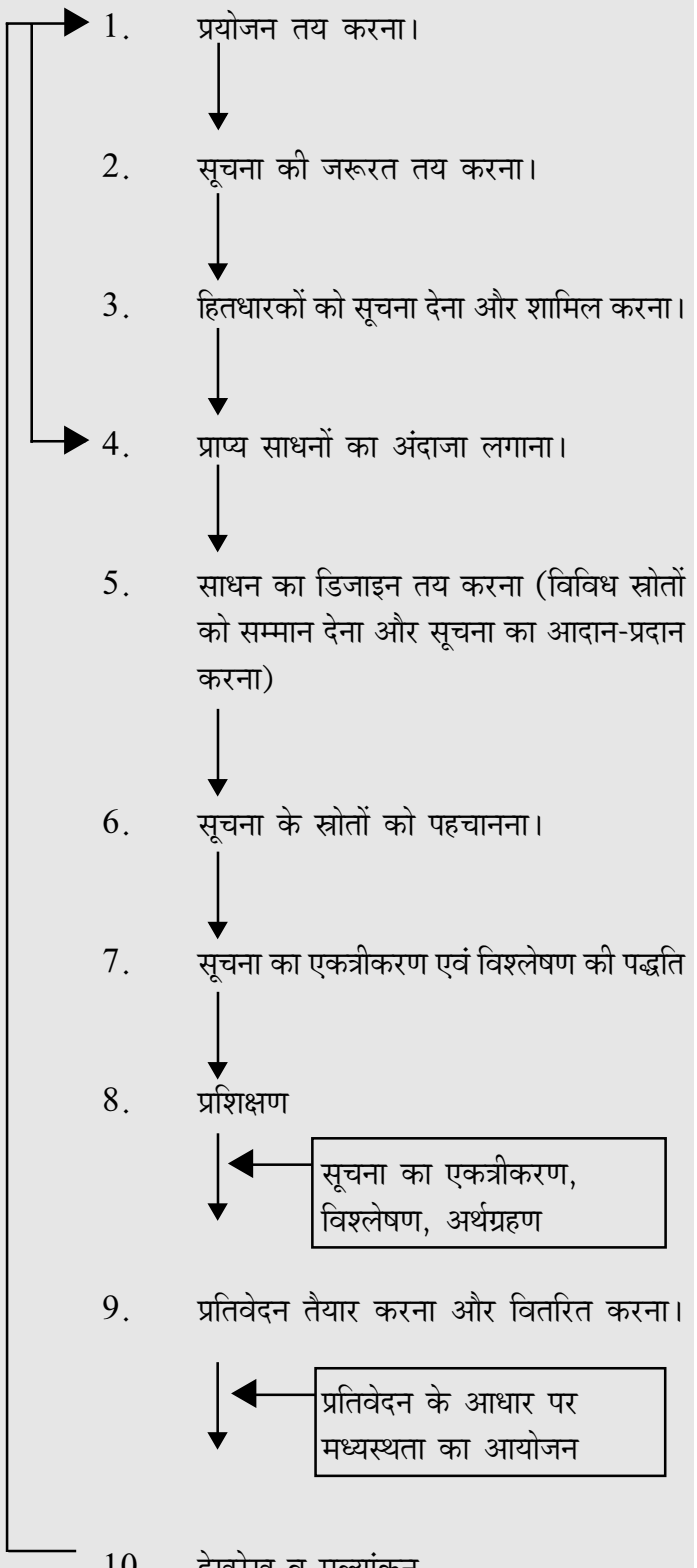

ऑपरेशन करने की जरूरत तय हुई और अन्य बहुत-सी गैर-चिकित्सकीय जरूरतों का भी पता लगाया गया। मुआवजा पाने और विकलांगता का प्रमाणपत्र प्राप्त करने में लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ती थी। निदान शिविरों में ही उन्हें प्रमाणपत्र दिये गए और कार्यकर्त्ताओं ने लोगों को मुआवजा दिलाने में भी मदद की।

शिविरों में जिनकी जांच की गई उनमें से 40 प्रतिशत मरीजों के फिर से ऑपरेशन किये जाने की जरूरत थी। उनके लिए ऑपरेशन से पहले के परीक्षणों की व्यवस्था की गई। राजकोट, जामनगर, अहमदाबाद, भुज और मुंबई तक कार्यकर्त्ता उनके साथ भी गए।

सामुदायिक देखभाल

प्राप्त सूचना के आधार पर भावी मध्यस्थता तय की गई। फीजियोथैरेपी की जरूरत सबसे बड़ी थी। दूरस्थ क्षेत्रों में यह सेवा नियमित रूप से प्रदान करा पाना एक चुनौती थी। लोकभारती सणोसरा के 90 कार्यकर्त्ताओं ने 3 फीजियोथैरेपिस्ट के साथ अंजार और भचाऊ तहसीलों के 50 गांवों के 1000 प्रभावित की सेवा-शुश्रुषा की गई। 534 मरीजों को तो बहुत लंबी अवधि तक ऐसी सेवा प्रदान की गई थी।

घायल मरीजों को कम खर्चीले उपकरण भी प्रदान किये गये थे। एक वीडियों के माध्यम से कार्यकर्त्ताओं का प्रशिक्षण दिया गया। इसके अलावा 'हाथ-पैर की फीजियोथैरेपी' के बारे में एक पुस्तिका भी तैयार की गई। इस प्रकार फीजियोथैरेपिस्ट तैयार किये गए, जो रोजाना अपने सामान के साथ लगभग 30 कि.मी. चलकर गांवों में जाकर सेवा शुश्रूषा करते थे। सभी कार्यकर्ताओं को प्राथमिक चिकित्सा की एक पेटी दी गई थी। ऐसे तात्कालिक फीजियोथैरेपिस्ट सूचनाओं की दुतरफा अदला-बदली करते थे। मरीजों की देखभाल के लिए उन्होंने अनेक अन्य मुद्दे खोज निकाले, जिनका बाद में कार्यलक्ष्यी योजना में समावेश किया गया।

प्रभावित होने वाले लोगों के प्राथमिक स्वास्थ्य के बारे में शिक्षण संबंधी बुनियादी प्रशिक्षण मरीजों और उनके सगे-संबंधियों दोनों

'आइडियल' की मध्यस्थता के चरण

समयावधि	प्रवृत्तियां
जुलाई से दिसंबर 2001	सूचना का एकत्रीकरण, फीजियोथैरेपी, आकलन शिविर व सुधारात्मक सर्जरी
जनवरी से दिसंबर 2002	स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं का चयन, सामग्री की तैयारी, प्रशिक्षण कार्यक्रम, स्वास्थ्य शिक्षण और मरीजों का अनुवर्ती कार्य
जनवरी से जून 2003	सामग्री की तैयारी, रिफ्रेशर प्रशिक्षण और स्वास्थ्य शिक्षण।

को प्रदान की गई। प्राथमिक उपचार और दस्तों व मलेरिया जैसे रोगों के इलाज के मुद्दे उसमें शामिल किये गए। प्रशिक्षण के लिए 10 वीडियो तैयार किये गए थे। उसमें श्वसनतंत्र, रक्तपरिभ्रमणतंत्र, पाचन तंत्र और स्त्रियों के मासिक जैसे मुद्दों का समावेश किया गया था।

कतिपय महत्त्वपूर्ण व्याख्याएं

1. आपात स्थिति

वह एक घटना अथवा अनेक घटनाओं का सिलसिला है जिससे स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं सुखी जीवन के सामने गंभीर खतरा उत्पन्न होता है। सशस्त्र संघर्ष, रोग, अकाल, प्राकृतिक आपदाएं, पर्यावरण की क्षति या अन्य बड़ी घटनाएं आपात स्थिति उत्पन्न कर सकती हैं और वे ज्यादातर विशाल क्षेत्र में फैली होती है।

2. असहायता:

नैतिक, सामाजिक, आर्थिक व पर्यावरणीय परिबलों या प्रक्रियाओं द्वारा निश्चित होती स्थिति या जिससे समुदाय पर स्वास्थ्य का जोखिम बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति जिसमें विपत्ति के प्रभाव से व्यक्ति या समुदाय सामना न कर सके, उसका मुकाबला न कर सके या उससे ऊपर न उठ सके।

3. जोखिम:

हानिकारक परिणाम या अपेक्षित नुकसान की संभावनाएं, जो प्राकृतिक या मानवसृजित मुसीबतों और असहायताओं से जन्म लेती हों। यथा-मृत्यु, चोट, सम्पत्ति और जीवन निर्वाह का नुकसान, आर्थिक प्रवृत्ति में विक्षेप, पर्यावरण को हानि।

4. विपत्ति:

समुदाय या समाज के काम में गंभीर विक्षेप, जिससे व्यापक मात्रा में मानवीय आर्थिक, पर्यावरणीय या भौतिक नुक्सान हो और इस नुकसान की प्रभावित समुदाय या समाज अपने संसाधनों के उपयोग से भरपाई न कर सके। विपत्ति जोखिम की प्रक्रिया पर आधारित रहती है। वह संकट, असहायता की स्थिति, जोखिम के नकारात्मक परिणाम घटाने हेतु अपर्याप्त कदम या अपर्याप्त क्षमता जैसे परिबलों से जन्म लेती है। विपत्ति एक ऐसी परिस्थिति है कि जिसमें ऐसा नुकसान होता है, पर्यावरणीय विक्षेप खड़े होते हैं अथवा जानहानि या स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है कि स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्यपरक सेवाएं इतनी ज्यादा मात्रा में बिगड़ जाती है कि जिससे प्रभावित होने वाले क्षेत्र या समुदाय के लिए बाहर से असाधारण मदद की आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है।

5. सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं:

सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं सम्पूर्ण आबादी के साथ संबंधित सेवाएं हैं। उनमें अनेक वस्तुओं, प्रवृत्तियों और सेवाओं का समावेश होता है। स्वास्थ्य की स्थिति पर देखरेख रखना, छुपे रोगों पर देखरेख रखना, महामारियों, विपत्तियों के विरुद्ध तत्काल प्रतिक्रिया व्यक्त करना, आरोग्यप्रद पर्यावरण पैदा करना, हवा-पानी-जमीन की गुणवत्ता के स्तर निश्चित करना और उनका क्रियान्वयन करना, व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा काम की जगहों पर सुरक्षा कायम करना, चोट लगने से रोकना, सड़कों में सुरक्षा निर्मित करना, स्वास्थ्य का शिक्षण प्रदान करना और संशोधन करना इत्यादि बातों का समावेश स्वास्थ्य सेवाओं में होता है।

शेष पृष्ठ 32 पर

अकाल सहायता सेवाओं पर समुदाय की निगरानी

राजस्थान के तीन जिलों में गत वर्ष अकाल राहत कार्यों तथा अकालग्रस्त क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर निगरानी रखने का काम जन-सहभागिता के साथ हाथ में लिया गया था। लोगो को ही अपनी समस्याओं के समाधान हेतु सक्षम बनाने के प्रयोजन के साथ हाथ में लिये गए सामुदायिक निगरानी के इस कार्यक्रम का विवरण यहां 'उन्नति' के **श्री दिलीपसिंह बीदावत** द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

भूमिका

2009-10 की समयावधि राजस्थान के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण रही। राज्य सरकार की दो महत्वपूर्ण घोषणाएं प्रत्येक नागरिक के साथ जुड़ी हुई थी अतः हर स्तर पर उनकी चर्चा हो रही थी। यह चर्चा चिंता और आनंद दोनों से सम्बद्ध थी। चिंता यह थी कि अगस्त माह तक राजस्थान में अकाल (सूखे) के संकेत मिल रहे थे और आनंद का विषय था पंचायतों के चुनावों की घोषणा। पहली बार राज्य सरकार अत्यधिक चिंतित दिख रही थी। अगस्त के अंत तक सभी जिलों की गिरदावरी करवाकर सरकार ने 33 में से 26 जिलों को अभावग्रस्त घोषित कर दिया था और राहत कार्यों की घोषणा भी कर दी थी। सरकार ने अभावग्रस्त क्षेत्रों के लिए अकाल-राहत के अंतर्गत निम्न कार्यो की घोषणा की थी :

(1) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत जिन लोगों को 100 दिन का रोजगार मिला था, उनको प्रतिमाह 10 दिन का अतिरिक्त रोजगार मिलेगा।

(2) जरूरत होने पर घास-चारे के डिपो खोले जाएंगे और पशु शिविरों का आयोजन किया जाएगा।

(3) पेयजल संकट से ग्रस्त जिन गांवों एवं ढाणियों में 1.6 कि. मी. परिधि में पानी का कोई स्रोत नहीं है, या जलदाय विभाग की किसी भी योजना का क्रियान्वयन नहीं है, वहां पानी के ऐसे स्रोतों का चयन करना, जहां से परिवहन द्वारा पानी पहुंचाया जा सके और पीड़ित परिवार आसानी से पानी पा सकें।

(4) ग्रामीण क्षेत्रों में असहाय परिवारों को पहचानना और उनके भरण-पोषण हेतु प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन 20 रु. तथा नाबालिग को प्रतिदिन 15 रु. प्रदान करना। यह राशि 60 दिन के लिए होगी बाद में इसे बढ़कर 180 दिन कर दिया गया।

(5) राज्य में नियमित चलने वाली अन्न सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य आदि योजनाओं पर सुदृढ़ निगरानी रखना।

सरकारी कार्य

राज्य सरकार ने राज्य स्तर पर राहत कार्यों की देखरेख के लिए पांच कार्य दलों का गठन भी किया। सरकार ने सभी तरह के राहत कार्यों के आरंभ की घोषणा अगस्त - 2009 के अंत में कर दी थी तथा सितम्बर - अक्टूबर 2009 में आदेश भी जारी कर दिये थे। ग्राम स्तर पर पटवारी और ग्राम सेवकों द्वारा जल वितरण के स्रोतों, असहाय परिवारों के चयन, घास-चारे के वितरण और पशु शिविरों की जरूरत के आकलन आदि की प्रक्रियाएं शुरू हो गई थीं।

मध्यमवर्गीय समाज और राजनीतिक क्षेत्रों के साथ जुड़े लोग पूरी तरह से पंचायतों के चुनाव में लग गए थे जबकि अत्यंत गरीब, दलित व वंचित असहाय वर्ग शंकास्पद थे। चुनाव की आचार संहिता लागू हो गई थी। सारा कामकाज सरकारी कर्मचारियों के हाथ में था। अकाल घोषित हो जाने के बावजूद सरकार और प्रशासन तंत्र की प्राथमिकता तो चुनाव थी। असहाय समुदायों की चिंता और आशंका वाजिब थी। एक, चुनाव के कारण उत्पन्न माहौल में उनकी बात सुनने वाला या उनकी समस्याओं पर विचार करने वाला कोई था। दो, राहत कार्यों में गांवों में जो कुछ हो रहा था, उसमें उनकी कोई भागीदारी नहीं थी। किसी को यह सूचना भी नहीं मिल पाती थी कि जल की आपूर्ति किन स्थलों से होती है और किनका चयन असहाय वर्ग में हुआ है।

पानी के वितरण की व्यवस्था हुई

बाड़मेर जिले की पचपदरा तहसील की बागाबास ग्राम पंचायत का एकड़ली गांव दूरस्थ क्षेत्र में स्थित है। इस गांव में 35 आदिवासी भील परिवार रहते हैं। गांव में आधारभूत सुविधाओं का अभाव है और पेयजल की भारी समस्या है। गांव में एक जीएलआर है, परंतु ग्रामवासियों के बताये अनुसार उसमें 8-10 वर्षों से पानी की सप्लाई नहीं है। अकाल राहत कार्य के अधीन गांव में पानी का वितरण स्थल तय नहीं किया गया था।

गांव के लोग टैंकर खरीदकर पानी प्राप्त करते थे। कई गरीब असहाय परिवार पानी खरीद पाने में समर्थ नहीं थे अत: उनको मुसीबतों का भारी सामना करना पड़ता था।

ग्राम विकास समिति की बैठक हुई और इस समस्या के विषय में चर्चा की गई। निर्णय किया गया कि समिति के सदस्य तहसीलदार व एसडीएम से सम्पर्क साधकर समस्या के समाधान के प्रयास करेंगे। बैठक में ही एक आवेदन पत्र तैयार किया गया और समिति के सदस्यों ने ही उसकी जिम्मेदारी ली। इन अधिकारियों से सम्पर्क करने के पश्चात पानी के वितरण का स्थल तय हुआ और टैंकर के द्वारा पानी देने की शुरूआत हुई।

विचार विमर्श

'उन्नति' और उससे सम्बद्ध संस्थाओं ने भी तमाम परिस्थितियों और अतीत के अनुभवों के आधार पर असहाय परिवारों की चिंता व आशंकाओं के बारे में विचार-विमर्श किया। दिसंबर 2009 के आते-आते तो ऐसा लगने लगा कि अकाल राहत के कार्यों तथा सरकार की चालू योजनाओं से तो असहाय वर्गों की वंचितता चालू ही रहनी है।

गांवों और ढाणियों में जिन वर्गों का समाजिक, आर्थिक और राजनीतिक वर्चस्व है, वही लोग राहत कार्यों का लाभ लेने दौड़ते हैं। पेयजल की कमी वाले क्षेत्रों में निजी टैंकरों ने पानी का भाव बढ़ा दिया था और घास-चारे का भाव भी बढ़ गया था।

दिनांक 4.1.2010 को 'उन्नति' के प्रयासों से सहयोगी संस्थाओं के साथ अकाल की स्थिति और सरकार के राहत कार्यो के विषय में विचार-विमर्श के लिए एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर - तीन जिलों में लंबे समय से 'दलित अधिकार अभियान' के साथ जुड़ी 9 संस्थाओं ने भाग लिया। बैठक में यह तथ्य दृढता के साथ उभर कर आया कि अगस्त से दिसंबर 2009 के मध्य स्थानीय स्तर पर अकाल के कारण अनेक समस्याएं खड़ी हो गई।

असहाय परिवारों के चयन, जल वितरण के स्थानों के चयन आदि में सर्वाधिक पीड़ित होने वाले लोगों को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत अतिरिक्त रोजगार मिलेगा। इसका मुख्य कारण यह था कि लोग मांग नहीं कर रहे थे और मांगपत्र स्वीकार भी नहीं किये जाते थे।

अकाल सुरक्षा योजना के तहत अकाल में भी समस्याएं थी। प्रति माह राशन नहीं मिलता था। कई स्थानों पर निर्धारित भावों से अधिक भाव लिये जाते थे। बीपीएल और अंत्योदय कार्ड धारियों को तथा अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थियों को समय पर अनाज नहीं

घास-चारे के डिपो खोलने में विलंब

उस समय अकाल के दौरान पेयजल और घास-चारे की भारी तंगी थी। देश के अन्य राज्यों में भी अकाल था अतः राजस्थान में घास-चारे का आयात कम होता था। अकाल की घोषणा होने का साथ ही स्थानीय स्तर पर घास-चारे का भाव चार गुणा बढ़ गया था। मई - जून 2010 तक 300 से 400 रु. के भाव में एक क्विंटल घास मिलता था। उसका भाव नवंबर - दिसंबर तक में 500 से 800 रु. तक हो गया।

सरकार के द्वारा राहत कार्यों में घास-चारे के डिपो संचालित किया जाने की घोषणा के बाद भी पंचायतों और सहकारी मंडलों ने उसमें कोई खास रुचि नही दर्शाई। घास-चारे के डिपो से सस्ता घास-चारा मिले तो खुले बाजार में भी उसके भाव कम हों। उस समय डिपो विलंब से खुले और पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तायुक्त पौष्टिक घास-चारा न मिलने के कारण खुले बाजार में भी भाव ऊंचे रहे थे।

नकद राशि की सहायता में घपला

जैसलमेर जिले की पोकरण तहसील की खेतोलाई पंचायत के गांवों में पटवारी द्वारा 130 व्यक्तियों को 600 रु. के बजाय 400 रु. की नकद राशि सहायता स्वरूप दी गई। बाकी 200 रु. इस वजह से कम दिये गए कि गांव में आकर भुगतान करने में उसने यात्रा खर्च काट लिया था। गांव के असहाय परिवारों से सम्पर्क करने पर जब सवाल सामने आया तो कार्यकर्ताओं और ग्राम विकास समिति के सदस्यों ने पटवारी से झगड़ा किया। तत्पश्चात पटवारी ने माफी मांगी और जिनको कम राशि दी गई थी, उन तमाम परिवारों को कुल 26,000 रु. चुका दिये!

मिलता था। फिर, आंगनवाड़ी में भी गरीब, दलित और वंचित परिवारों के बालकों को भर्ती नहीं किया जाता था। इस बैठक में ये मुद्दे उभर आये कि असहाय परिवारों की मुसीबतें बढ़ रही है। यह सबको पता था कि चुनाव और राहत कार्यों की पूर्व तैयारी की प्रक्रिया तथा वर्तमान स्थिति देखते हुए असहाय परिवार राहत कार्यों से वंचित रहे हैं।

इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि बाड़मेर और जोधपुर जिले में अकाल राहत कार्यों पर देखरेख रखी जाए और जहां भी समस्या दिखे, वहां फौरन प्रशासनतंत्र को जानकारी देकर उसके समाधान के प्रयास किये जाएं।

यह भी तय किया गया कि यह देखरेख कार्य ग्राम स्तर की समितियां और असहाय परिवारों की सहभागिता से किया जाए। प्रतिमाह गांवों से राहत कार्यों की नियमित व व्यवस्थित सूचना प्राप्त की जाए और जहां भी समस्या मालूम पड़े वहां उसके हल के लिए तहसील व जिले स्तर पर प्रयास करने का भी निर्णय लिया गया।

यह भी तय किया गया कि माह के अंत में तमाम सूचनाओं का एक विवरण तैयार करके उसे जिले व राज्य के अधिकारियों के समक्ष रखा जाए और समस्याओं के समाधान के प्रयास किये जाएं। यह काम 9 तहसीलों के 85 गांवों में करने का निर्णय लिया गया।

देखरेख की प्रक्रिया

देखरेख का मुख्य उद्देश्य अकाल से प्रभावित असहाय वर्ग तक सरकार के राहत कार्य पहुंचाना और यह देखाना कि उनके लाभ उन्हें मिलें।

इस काम को आगे बढ़ाने के लिए कुछ प्रक्रियाएं तय की गई। सूचना इकट्ठी करके, उनका विश्लेषण करके उचित अध्ययन तैयार किया गया। यह भी तय किया गया कि प्रति माह 25 से 30 तारीख के मध्य सूचना को संकलित किया जाए। गांव से सूचनाएं प्राप्त करके समुदाय के साथ उनका विश्लेषण करके उचित अध्ययन तैयार किया गया।

गांव से सूचना प्राप्त करके समुदाय के साथ उनका विश्लेषण करके समस्याओं की पहचान तथा उनका समाधान करने का प्रयास करना तमाम सूचनाएं इकट्ठा करके उनका विश्लेषण किये जाने के बाद एक सप्ताह में विवरण तैयार करना तथा जिले व राज्य स्तरीय अधिकारियों को वह सूचना सौंपकर समस्याओं का समाधान लाने की जिम्मेदारी 'उन्नति' ने स्वीकार की। जनवरी 2010 से यह कार्य शुरू किया गया।

जोधपुर जिले की 4 तहसीलों के 40 गांवों, बाडमेर जिले की 3 तहसीलों के 30 गांवों तथा जैसलमेर जिले की 2 तहसीलों के 15 गांवों याने कुल 85 गांवों में काम करना तय किया गया था। एक तहसील के 10 गांवों में एक-दो कार्यकर्ताओं को जिम्मा सौंपा गया। देखरेख की प्रक्रिया के लिए ऐसे गांव चुने गए जहां दलित परिवारों की बस्ती ज्यादा हो, सुविधाओं व संसाधनों से जो वंचित हो या फिर जिन गांव में 'दलित अधिकार अभियान' के अधीन ग्राम समितियां सक्रियता से काम करती हों।

आरंभ में सभी गांवों के राहत कार्य की सूचना सरकारी विभागों से एकत्र की गई। गांव की सूचना प्राप्त करने के लिए ग्राम समिति और अकाल प्रभावित समुदायों के साथ बैठकें की गई। सरकारी आदेश तथा सरकार से प्राप्त सूचना लोगों के समक्ष प्रस्तुत की गई

अकाल राहत निगरानी कार्यक्रम के तहत किये गए कार्य
(जनवरी से जून - 2010)

कुल आबादी: 1,33,948 महिलाएं: 65,710 पुरुष: 68245 परिवार: 24165

	पेयजल					एनआरईजीए						घासचारा				
तहसील का नाम	मौजूदा स्रोत	कुल टैंकर	प्रयास का परिणाम	कुल लाभार्थी परिवार	अन्य स्रोतों हेतु प्रयास	जॉब कार्ड	अर्जियां	सुविधाओं हेतु प्रयास	नये स्वीकृत कार्य	भुगतान हेतु प्रयास	काम से वंचित	डिपो	प्रयास का परिणाम	लाभार्थी परिवार	बीपीएल	अंत्योदय
पोकरण	27	111	111	542	3	1759	692	13	6	10	10	10	0	987	293	180
सिणधरी	18	205	31	486	4	2656	222	0	5	1(7600)	1085	4	2	1060	522	151
सिवाना	22	531	236	1021	0	3826	1421	4	0	7	0	6	2	448	328	201
मंडोर	0	0	0	0	0	3145	629	3	3	64	0	3	2	3145	209	123
फलौदी	25	0	0	1995	10	1665	735	9	18	6	0	7	7	1090	550	149
कल्याणपुर	22	154	45	1205	6	4125	154	1	3	1	0	6	5	1209	355	122
जैसलमेर	10	120	24	520	0	1121	44	2	5	2	0	1	0	682	182	129
शेरगढ़	24	165	54	1402	5	1213	165	1	6	6	12	8	1	1213	381	57
गोपालगढ़	21	194	73	1298	1	7344	46	1	10	1	0	6	2	7344	305	134
कुल	**169**	**1480**	**574**	**8469**	**29**	**26854**	**4108**	**34**	**56**	**97**	**1097**	**51**	**21**	**17178**	**3125**	**1246**

तथा राहत की उपलब्धता और प्राप्ति के बीच के अंतर और वंचितता को पहचाना गया। सूचना की सत्यासत्यता का पता लगाने के लिए असहाय परिवारों के साथ लगातार सम्पर्क रखा गया।

उनके राशन कार्ड, जॉब कार्ड, पेंशन डायरी, जैसे जरूरी दस्तावेज तैयार किये गए। कोई परिवार पानी कहां से प्राप्त करता है पानी प्राप्त करने का स्थान कितना दूर है, कितना पानी मिलता है, पानी की गुणवत्ता कैसी है, पानी के स्रोत पर भेदभाव होता है या नहीं इत्यादि बातें ऊपरी देखरेख की प्रक्रिया का हिस्सा थीं।

इस सूचना के आधार पर जो समस्याएं दृष्टिगोचर होती हैं, उनके समाधान के लिए पैरवी करने का निश्चय किया गया।

राहत कार्यों की देखरेख

1. नरेगा में 100 दिन का रोजगार पाने वाले परिवारों को प्रति माह 10 अतिरिक्त दिनों का रोजगार मिले और यह देखा गया कि जिनके 100 दिन पूरे नहीं हुए उनके पूरे हों। यह सुनिश्चित हो कि समय पर वेतन मिले, कार्यस्थल पर छाया, जल व बालकों की देखभाल की व्यवस्था हो।

2. यह सुनिश्चित हो कि जल वितरण हेतु चुने गए स्थलों तक असहाय परिवारों की पहुंच हो। सरकार के मापदंड के अनुसार अगर 1.6 कि.मी. के क्षेत्र में पेयजल का कोई स्रोत न हो तो वहां पानी का वितरण किया जाए। इसके उपरांत, यथासमय पानी मिलता है या नहीं, भेदभाव रखा जाता है या नहीं, पानी की गुणवत्ता आदि के बारे में समस्या का समाधान

अकाल राहत निगरानी कार्यक्रम के अधीन सम्पन्न हुए काम
(जनवरी से जून - 2010)

कुल आबादी: 1,33,948 महिलाएं: 65,710 पुरुष: 68245 परिवार: 24165

असहायों को सहायता				मध्याह्न भोजन			आंगनवाड़ी				
अन्नपूर्णा	असहाय परिवार (सरकार)	प्रयास का परिणाम	वंचित	कितने स्कूलों में मध्याह्न मिलता हैं	गुणवत्ता	समस्या	कुल	पंजीकृत बालक	पंजीकृत महिलाएं	प्रयास का परिणाम महिलाएं	प्रयास का परिणाम बालक
71	179	1	154	15	90	0	5	352	90	0	0
70	24	3	70	18	100	0	10	826	180	39	104
30	67	2	7	27	100	0	22	1680	396	2	45
64	78	8	0	16	100	0	11	786	238	0	0
44	57	0	31	20	100	0	6	315	146	13	13
47	89	13	12	10	100	0	8	310	154	11	9
30	11	2	14	6	100	0	4	124	44	2	3
37	82	4	15	17	60	0	11	456	214	15	12
43	39	27	17	20	100	0	13	842	280	0	123
436	**626**	**60**	**320**	**149**		**0**	**90**	**5691**	**1742**	**82**	**309**

करना।

3. गांव में असहाय परिवारों की पहचान करना और सरकारी सूची के साथ उनका मिलान करके, जो शेष रह गए हों, उन परिवारों के नाम उसमें शामिल करने का प्रयास करना। यह देखना कि सरकार द्वारा स्वीकृत राशि उन्हें यथासमय पूरी मिलती है या नहीं। इसमें कोई समस्या हो तो उसका समाधान करना।

4. बीपीएल, अंत्योदय तथा अन्नपूर्णा योजना हेतु निर्धारित परिवारों को प्रति माह निर्धारित मात्रा में निर्धारित भाव में अनाज दिलाना सुनिश्चित करना, यह सुनिश्चित करना कि आंगनवाड़ी में असहाय परिवारों के बालक, सगर्भा स्त्रियां, धात्री माताएं तथा किशोरियां जुड़े यह देखना कि मध्याहन भोजन योजना के तहत निर्धारित भोजन पर्याप्त मात्रा में बिना भेदभाव के मिले।

5. सरकार द्वारा जरूरत के अनुसार घास-चारे के डिपो शुरू किये जाने तथा पशु शिविर आयोजित करने की घोषणा की गई थी। यह सुनिश्चित करना कि उसके मुताबित वे शुरू हों और उनका उपयोग हो।

6. खास तौर पर यह देखना कि विधवाओं, वृद्धों और विकलांगों को यथासमय पेंशन मिले। सामान्यतया गांवों मे 4 या 6 माह की पेंशन एक साथ दी जाती है।

अकाल राहत कार्यों पर देखरेख और हाथ में लिए गए कार्यों का कार्यक्रम छः माह के लिए शुरू किया गया था, लेकिन उसमें

समस्याएं रही और सबक भी बहुत सीखने को मिले। सरकारी कर्मचारियों का सकारात्मक सहयोग न मिलना बड़ी समस्या थी। लेकिन कुछ सफलता भी मिली।

परिणाम

1. पानी का विवरण

तीन जिलों के 85 गांवों में सरकार द्वारा कुल 169 स्थानों पर जल वितरण कराया गया था। छह माह में कुल 1480 टैंकर पानी का वितरण किया गया। उनमें से 574 टैंकरों का वितरण देखरेख की प्रक्रिया के कारण संभव हो पाया था, जिसका लाभ वंचित समुदायों को मिला था। कई गांवों में सरकारी पेयजल योजना का क्रियान्वयन हुआ था। लेकिन पानी की सप्लाई नियमित न थी। ऐसे 29 स्रोतों से जल-प्रदाय शुरू हुआ। पानी के साथ संबंधित ऐसी भी कई समस्याएं थी कि जिनका हल समुदाय ने ग्राम स्तर पर किया। कई स्थानों पर निर्धारित मात्रा से कम सप्लाई थी और कई स्थानों पर पानी खारा था। समुदाय ने ये समस्याएं उठाई और इनका हल निकला।

2. रोजगार

नरेगा में तहसील स्तर पर 100 दिन रोजगार पाने वाले परिवारों की सूचना इकट्ठी की गई और उन गांवों में काम चल रहा है या बंद है, इसकी सूचना भी इकट्ठी की गई। कई गांवों में काम बंद था अथवा जिन परिवारों के 100 दिन पूरे न हुए हों उन्हें भी रोजगार नहीं मिलता था। समुदाय को जगाया गया और काम की मांग के लिए 4108 अर्जियां दी गई। उसके परिणामस्वरूप सरकार को काम शुरू करना पड़ा। कार्य स्थल पर छाया, पेयजल, बालकों की देखभाल की व्यवस्था तथा प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था जैसे मुद्दे 34 गांवों में उठाये गए और उनका हल निकाला गया। 97 गांवों में वेतन का जो भुगतान 3-4 माह से हुआ नहीं था, वह भी करवाया गया।

3. घास-चारा

85 गांवों में सरकार द्वारा घास-चारे के 30 डिपो खोलने के लिए सूचनाएं दी गई थी। उनमें से 21 स्थान पसंद किये गए थे, पर वहां डिपो नहीं खोले गए। बाद में इन 21 स्थानों पर डिपो खोलने और उनके संचालन का काम संभव हो सका। उसमे परिणामस्वरूप खुले बाजार में घास-चारे के भावों में कमी आई।

4. सामाजिक सुरक्षा

85 गांवों में कुल 3125 बीपीएल परिवार थे। उन्हें राशन की दुकानों से हर महीने 4.60 रु. के भाव से 35 किलो गेहूं दिया जाता था। 1246 परिवारों का समावेश अंत्योदय योजना में था। उन्हें 2 रु. के भाव से प्रतिमाह 35 किलो गेहूं दिया जाता था। 436 परिवारों का समावेश अन्नपूर्ण योजना में हुआ था, उन्हें प्रतिमाह 10 किलो गेहूं मुफ्त दिया जाता था।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत 85 गांवों में सस्ते अनाज की दुकानों पर देखरेख रखी गई। समुदाय से सूचना प्राप्त की, असहाय परिवारों के राशन कार्ड हर माह देखे गए इस पर ध्यान केंन्द्रित किया। निर्धारित भाव पर निर्धारित मात्रा में अनाज मिलता है या नहीं। जहां भी समस्या मालूम पड़ी वहां दुकानदार से मिलकर समाधान किया गया लेकिन जहां समाधान नहीं हो सका, वहां उच्च स्तर पर कार्यवाही की गई। प्रतिमाह अनाज न मिलना, निर्धारित भाव से अधिक भाव लेना आदि मुख्य समस्याएं थी। ग्राम स्तर पर उनका समाधान निकाला गया। कई गांवों में तो दुकानदार द्वारा ली गई अधिक भाव की राशि वापिस देनी पड़ी।

आंगनवाड़ियों में सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पोषक आहार का वितरण करने के लिए बालकों, सगर्भा स्त्रियों, धात्री माताओं तथा किशोरियों की संख्या तय होती है। 2 वर्ष की उम्र तक के 40 बालक, 2 से 5 वर्ष की उम्र के 40 बालक, 9 धात्री माताएं, 9 सगर्भा स्त्रियां और 2 किशोरियों की संख्या तय होती है। विभाग का आदेश है कि आंगनवाड़ी वाले क्षेत्र में कुपोषण से पीड़ित या शारिरीक दृष्टि से अशक्त लोगों की पहचान की जाए और उन्हें पोषक आहार दिया जाए। शेष जो मापदंड के अनुसार नहीं है, उन्हें स्वास्थ्यपरक सेवाएं प्रदान करने हेतु पंजीकृत करने का आदेश दिया गया था।

अनुभव ऐसा है कि आंगनवाड़ी में अपोषण से पीड़ित बालकों और महिलाओं को शामिल करने के बजाय कार्यकर्ता अपनी मर्जी से लाभार्थी निश्चित कर लेते हैं। यह देखने में आया कि इस कार्यक्रम के अधीन असहाय परिवारों का पंजीयन आंगनवाड़ी केन्द्रों में

होता है। छह माह के दौरान 82 सगर्भा स्त्रियों और धात्री माताओं तथा 309 बालकों को आंगनवाड़ी के साथ जोड़ा गया और इस पर ध्यान दिया गया कि उन्हें पोषक आहार मिले।

अकाल राहत में इस बार सरकार द्वारा असहाय परिवारों का चयन करके प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को मासिक 500 रु. और अल्पवय वाले को मासिक 300 रु. भरण-पोषण के लिए देना तय किया था। वृद्धों, बीमारों, विकलांगों और असहाय परिवारों का उनमें समावेश कराया गया था।

85 गांवों में सरकार द्वारा इसके लिए 626 असहाय परिवारों को चुना गया था। देखरेख कार्यक्रम के मुताबिक अन्य 60 असहाय परिवारों का समावेश इस सूची में किया गया और यह देखा गया कि कुल 680 परिवारों को 20,22,800 रु. की राशि मिल। कई गांवों में पटवारी द्वारा लाभार्थियों को निश्चित राशि से कम राशि दी गई। ऐसे मामलों को पकड़ा गया और पटवारी से सम्पर्क करके शेष रकम दिलवाई गई थी।

सबक

अकाल राहत कार्यों पर निगरानी रखने का काम जितना सरल नजर आता है, उतना सरल है नहीं। अनेक व्यवस्थाओं, मांपदंडों, प्रक्रियाओं और आदेशों की जानकारी न होना, यथासमय सूचनाएं न मिलना और ग्राम व तहसील स्तर के अधिकारियों तथा कर्मचारियों का सकात्मक सहयोग न मिलना जैसी अनेक समस्याएं इस समग्र प्रक्रिया में सामने आती हैं।

अकाल राहत कार्य पर निगरानी के कार्यक्रम के अंतर्गत जानकारी एकत्रित करना, विश्लेषण करना, जिला स्तर पर सूचना को कम्प्यूटराइज करना, विश्लेषण व विवरण सरकारी अधिकारियों को सुपुर्द करना आदि आवश्यक होता है। कौनसी सूचना प्राप्त करना, कौनसे पत्रक होने चाहिए जिनका संख्यात्मक व गुणात्मक दोनों प्रकार का विश्लेषण हो सके, समय पर सूचनाओं का आना, उनका समन्वय करना और विश्लेषण करके विवरण तैयार करना इत्यादि पूर्व तैयारियां भी जरूरी है।

इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष कार्य को भी जोड़ा गया है, उससे अनेक प्रश्नों का ग्राम स्तर पर ही समाधान हो गया और ग्राम विकास समितियों ने उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उससे समुदाय को अनेक भांति की सूचनाएं मिली तथा उन्हें पैरवी करने का भी ज्ञान मिला। निम्न क्षेत्रों में समुदाय की देखरेख बढ़ी और साथ ही साथ समस्याओं का हल निकालने की क्षमता भी बढीः

1. नरेगा की व्यवस्थाएं और प्रक्रिया।
2. सरकारी विभागों की जानकारी जिससे अकाल के दौरान जल, रोजगार व घास-चारे के संदर्भ में निगरानी हो सके।
3. सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के प्रावधान और प्रक्रियाएं।
4. आंगनवाड़ी बालकों और महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण विषयक जानकारी।

इस कार्यक्रम से गांवों में ऐसा वातावरण निर्मित हुआ जिससे ग्राम स्तरीय सेवादाता सक्रिय व सतर्क हो गए। बैठकों मे राहत कार्यों का विश्लेषण किया गया और समुदाय को राहत कार्यों के संबंध में जानकारी मिली। समुदाय स्वंय प्रश्न खड़े करने लगा, उच्च अधिकारियों को पत्र लिखकर स्थिति स्पष्ट करने लगा। उससे अधिकारियों को भी ऐसा लगा कि उनकी मनमानी नहीं चलेगी। सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि ग्रामीण समितियों ने असहाय परिवारों को ध्यान में रखकर पैरवी की और उनकी प्रस्तुति को इन्कार कर पाना सरकारी कर्मचारियों अथवा अधिकारियों के लिए लगभग असंभव हो गया। समितियों के सदस्यों को असहाय परिवारों की समस्याएं समझने का अवसर मिला और उनके प्रति उनकी संवेदना बढ़ी।

पंचायती चुनावों के कारण अक्टूबर से फरवरी तक अधिकांश लोगों का ध्यान चुनावों की तरफ ही लगा था। चारों तरफ पानी की कमी का जबर्दस्त संकट था फिर भी गांवों से यह सवाल उभरकर नहीं आ रहे थे। इस असली मुद्दे को उभारने वाले राजनीतिक दलों के नेता भी चुनावों में व्यस्त थे। ऐसे समय में सरकार का राहत कार्य भली भांति चलता रहे तथा असहाय परिवारों की सहायता संबंधी कार्य ग्राम स्तरीय समितियों ने किया।

विकासपरक योजनाएं और आपदा निवारण के बीच समन्वय

आपदा निवारण के नये अभिगम का मुख्य हिस्सा यह है कि आपदा प्रबंधन को विकास योजना का भाग बनना चाहिए। इस लेख में 'उन्नति' के **श्री भानुभाई मिस्त्री** यह समझाते हैं कि विकासपरक योजनाओं और आपदा निवारण के मध्य समन्वय कैसे साधा जाए। इस लेख में इस बात पर बल दिया गया है कि विविध हितधारकों की अपेक्षाओं तथा सहभागिता से उत्पन्न परिणामों का आकलन करके आपदा निवारण की कार्यनीति बनाई जानी चाहिए।

प्रस्तावना

विकास योजना का निर्माण याने सिर्फ और सिर्फ प्रगति, ऐसा भी नहीं है। विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान भी 'जोखिम' हो सकता है, जो हमारी प्रगति में बाधक बन सकता है। अतः विकास योजनाओं का क्रियान्वयन किस तरह होता है, यह मुद्दा जोखिम के संदर्भ में महत्त्वपूर्ण बन जाता है। दीर्घावधि विकास की बात करते समय तीन बातों को शामिल करना पड़ेगाः सामाजिक-आर्थिक विकास, पर्यावरणीय सुरक्षा-संतुलन और आपदा निवारण।

विकासपरक कार्यों का मूल्यांकन करते समय यह बात विशेष रूप से समझने की है कि हम सामाजिक समानता और आर्थिक क्षमता अथवा गरीबी उन्मूलन में कहां तक पहुंच सके हैं - विकास कार्य के क्रियान्वयन के दौरान पर्यावरण को तो कोई खतरा नहीं पहुंचा, इसको साथ-साथ विकास योजनाओं के कारण अगर कोई खतरा उत्पन्न होता हो तो उसे किस तरह कम किया जा सकता है, उसका ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि विकास योजनाएं अर्थात् 'खतरे से शून्य' योजनाएं होता है। विकास योजनाओं के सार-संभाल व सावधानीपूर्ण क्रियान्वयन में ही आपदा निवारण की संभावना की शुरूआत हो सकती है।

विकासपरक योजना के आयोजन में तथा मूल्यांकन में आपदा निवारण की बात को प्रधानता देने हेतु, सकारात्मक राजनीतिक इच्छा शक्ति, अर्वाचीन वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग, लोगों का सहकार, समन्वय, आपदा के प्रति संवेदनशील आयोजन व क्रियान्वयन, आपदा के खिलाफ आवश्यक पूर्व तैयारी, मानवीय अधिकारों व लिंगभेद जैसे मुद्दों को भी जोड़ना और पहचानना पड़ेगा। विकास के तमाम आयोजनों में आपदा निवारण की बात महत्त्वपूर्ण बननी चाहिए। कोई भी विकास योजना किस हद तक जोखिम को घटाने में मदद करती है उसे ही देखने के बजाय यह भी देखना चाहिए कि इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन से भविष्य में कोई खतरा तो उत्पन्न नहीं होगा।

आपदा का निवारण

आपदा के कारण उत्पन्न होने वाले जोखिम को कम करने के लिए निम्न बातें महत्त्वपूर्ण हैं:

१. जोखिम की पहचानः विकास की अनुचित पद्धतियां जोखिम की संभावनाएं बढ़ाती हैं। अतः यह सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हो जाता है कि विकास की किसी योजना के साथ जोखिम जुड़ा है या नहीं! क्योंकि कई बार जमीन की कमी के कारण विकास योजनाएं ऐसे स्थान पर बना दी जाती हैं, जहां पास में रहने वाले समुदाय को स्थायी रूप से खतरा हो सकता है।

२. प्रोजेक्ट तैयार करते समय ही जोखिम की संभावना की पहचान करनी होती है। इसके लिए जरूरी तंत्रविज्ञान की पहचान की जाए। वित्तीय आवंटन किया जाए तथा संस्थागत तंत्र खड़ा किया जाए। इस प्रकार संभावित जोखिम के समक्ष तर्कबद्ध आयोजन किया गया हो।

३. विविध योजनाओं को समन्वित रूप में देखें - उदाहरणार्थ स्वच्छता या सफाई की योजना की बात करते समय पानी पहुंचाने की योजना की बात करनी ही पड़ेगी क्योंकि दोनों एक-दूसरे से सम्बद्ध हैं तथा एक योजना को पूर्ण करने के लिए दूसरी की जरूरत अवश्य रहेगी।

४. जोखिम घटाने के विषय के संबंध में लोक जागृति उत्पन्न करने के लिए शैक्षणिक साहित्य तैयार करना तथा प्रशिक्षण द्वारा क्षमता वृद्धि करना भी अनिवार्य अंग है।

विकासपरक आयोजन और आपदा प्रबंधन के मध्य समन्वय

अगस्त २००६ माह में दिल्ली में आयोजित सार्क देशों के सम्मेलन में उभरी सम्मति के अनुसार आपदा जोखिम घटाने के मामले में कई कार्यनीतियां सोची गईं।

१. विशाल विकासपरक योजनाओं (यथा बांध, विशाल सड़कें) में आयोजन के समय संभावित जोखिम का अंदाजा लगाने के लिए जरूरी टूल्स एवं पद्धतियां विकसित करना।

२. आपदा की जोखिम घटाने के लिए विकेन्द्रित व्यवस्थाओं को प्रोत्साहित करना, जिसमें स्थानीय स्वशासी संस्थाओं को योजना निर्माण हेतु शामिल करना तथा इस मुद्दे में काम करने के लिए सक्षम बनाना। दसवीं पंचवर्षीय योजना (२००२-०७) में प्रत्येक राज्य को सूचित किया जाए कि विकास योजना बनाते समय निम्न मुद्दों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए:

(१) भवन निर्माण कार्य के नियमों की समीक्षा की जाए।
(२) आपदा के समक्ष रक्षण, बचाव की बात को सरकारी योजना में शामिल कर लेना चाहिए। जैसे भवन निर्माण कार्य में सुरक्षा को ध्यान में रखकर मार्गदर्शक सिद्धांत निर्मित किये गए हैं।
(३) आपदा प्रबंधन को शाला के अभ्यासक्रम में एक विषय के रूप में शामिल करना।
(४) आपदा प्रबंधन के उद्देश्य को पंचवर्षीय योजना में शामिल करके वित्तीय आवंटन (बाढ़ नियंत्रण, रेगिस्तान विकास, जल-संग्रह-संचय, रोज़गार विकास जैसे कार्यक्रमों का इस पंचवर्षीय योजना में समावेश करना।)

इसके अलावा, २००५ में राष्ट्रीय आपदा निवारण अधिनियम को भी संसद द्वारा स्वीकृत किया गया, जिसका २००७ से क्रियान्वयन किया गया। इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक राज्य द्वारा

- आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया जाता है।
- देश के ६१२ जिलों में जिलास्तरीय आपदा प्रबंधन अभिकरण की नियुक्ति की जाए।
- स्थानीय स्वशासी संस्थाओं पंचायत, नगर पालिकाओं तथा नगर निगमों द्वारा राहत, पुनर्वास और आपदा निवारण के काम हाथ में लिये जाते हैं।
- राज्य तथा केन्द्र द्वारा आपदा प्रबंधन योजना निर्मित की जाती हैं और उसे विकास की निरंतर चलने वाली योजनाओं के साथ जोड़ा जाता है।

तदुपरांत ग्लोबल वार्मिंग या 'क्लाईमेट चेंज' के मुद्दे पर २००८ के अगस्त माह में स्वीकृत मुद्दों पर भी कार्यवाही करने की सहमति दर्शाई गई। केन्द्र भी प्रति वर्ष विशाल स्तर पर विकास योजना की घोषणा करता है और उसके क्रियान्वयन हेतु संसाधनों का आवंटन करता है। इस प्रकार, इन योजनाओं को माध्यम बनाकर निःसहायता तथा आपदा का संभावित जोखिम कम करने हेतु उपयोग में लाया जा सकता है, अलबत्ता उसके लिए जरूरी तंत्र निर्मित करना पड़ेगा और उसे व्यावहारिक बनाने के लिए जरूरी कदम उठाने पड़ेंगे।

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, विकास योजनाओं का मूलभूत प्रयोजन सामाजिक-आर्थिक विकास है। इनमें समाज के पिछड़े हुए व्यक्ति तक इनका लाभ पहुंचाने का उद्देश्य है। अर्थात् इन योजनाओं का अमल इस तरह हो अथवा होना चाहिए, जिससे निःसहायता घटे, अर्थात् समुदाय सक्षम बने ताकि वह आपदा के संभावित खतरों के सामने टिका रहे।

राष्ट्रीय योजनाओं में आपदा निवारण का समन्वय

विविध राष्ट्रीय योजनाओं के साथ आपदा निवारण का जिस तरह समन्वय किया जा सकता है, उसके यहां कुछ सुझाव प्रस्तुत हैं:

(१) आवास

- स्थानीय परिस्थिति और आपदा के संदर्भ में भवनों की सुरक्षा के मापदंड निर्मित करना।

आपदा निवारण की व्यूहरचना में विविध हितधारकों की अपेक्षाएँ

हितधारक	अपेक्षाएं	संभावित परिणाम
(क) सरकारी विभाग	योजनाओं का परस्पर जोड़ने वाली पद्धतियों का विकसित करना।	योजनाओं के समन्वय से आपदा से रक्षा की संभावनाएं बढ़ेंगी।
(ख) स्वयंसेवी संगठन	स्वयंसेवी संगठन परस्पर समन्वय करें, लोक भागीदारी को सबल करने के प्रयास करें। विचारधारा को विकसित करने योग्य नमूने उत्पन्न करें।	कमजोर वर्गों की तथा पिछड़े समूह की असहायता कम होगी।
(ग) स्थानीय समाज/समुदाय	अपनी जरूरतों को पहचानना, विपत्ति के सामने टिके रहने की अपनी मौलिक पद्धतियों को सामने लाना, टिकाना तथा उन तक सरकारी योजना में आने वाली मुश्किलों को पहचानना।	जोखिम घटाने के लिए क्षमता बढ़ सकेगी और लंबी अवधि में भयमुक्त समुदाय की रचना होगी।
(घ) स्थानीय स्वशासी संस्थाएं	योजना से जुड़ाव हेतु जरूरी नीति-नियम बनाने, उनमें वित्तीय आवंटन तथा क्षमता वृद्धि के कार्यक्रम जुड़े हुए हों।	समुदाय की असहायता दूर होगी और संकट की स्थिति से निबटने के लिए समुदाय सक्षम बनेगा।
(ङ) राज्य प्रेरित आपदा प्रबंधन मंडल	यह देखना कि ऐसी प्रणालियों का अन्य योजनाओं में भी अमल हो जो विपत्ति के प्रभाव को कम करें।	विपत्ति की जोखिम घटाने की योजनाओं पर खर्च घटेगा। राजकोषीय खर्च विविध कार्यों पर होता है। उसमें कार्यक्षमता उत्पन्न हो सकेगी।
(च) उद्योग समूह	व्यवस्था संबंधी सहायता करना, वित्तीय सहयोग तथा व्यवस्था का सहयोग।	उद्योग समूह की सामाजिक जिम्मेदारी के तहत काम होंगे। ऐसे नमूने-हस्तक्षेप निर्मित होंगे, जो आपदा जोखिम घटाने में वहनीय होंगे।
(छ) निष्णात/शोध संस्थाएं	नीतियों में मार्गदर्शन, पैरवी के कामों में मदद, शिक्षण को आगे तक ले जाने की पद्धति में सुझाव और प्रस्तुत करने की पद्धति में मार्गदर्शन। यह मार्गदर्शन आपदा निवारण के समस्त कार्यों में उपयोगी होगा।	शिक्षण के फैलाव को बढ़ाया जा सकेगा तथा नीति पर शोध होगी। पैरवी के विविध मुद्दे उभर कर आएंगे और उन मुद्दों पर सुदृढ़ प्रस्तुति हो सकेगी।

- भवन निर्माण कार्य हेतु ऐसी जगह भूमि का आवंटन किया जाए कि जो आपदाग्रस्त क्षेत्र में न हो।
- क्षेत्रानुसार विशेष प्रकार के बिल्डिंग कोड का निर्माण करना।
- भवन निर्माण कार्य और भूमि आवंटन से संबंधित सख्त नियम कायदे बनाना।
- सार्वजनिक सुविधा यथा पेयजल, विद्युत, स्वच्छता, गटर व्यवस्था उचित मात्रा में उपलब्ध कराना।
- भवन निर्माण कार्य की गुणवत्ता में कोई समझौता किये बगैर ऐसी निर्माण सामग्री हेतु प्रोत्साहन देना जो पर्यावरणीय सुरक्षा में उपयोगी हो।
- ठोस कचरे की निकासी, वर्षा के पानी के निकास आदि का आयोजन करना।

२. खेती और जलसंचय विकास

- आकस्मिक स्थिति से निबटने लिए खेती (फसल) का आयोजन।
- किसानों के साथ फसल बीमे का जुड़ाव।
- प्रोजेक्ट के आयोजन में क्लाईमेंट चेंज से संबंधित कार्यवाही, जैसे जैविक खेती, कम पानी के उपयोग वाली फसलों की प्रजातियां विकसित करना इत्यादि।
- खेती में पानी के उपयोग हेतु नियंत्रण लागू करना।
- सागर तटीय क्षेत्र में पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने हेतु आयोजन।
- योजनाएं तैयार करते समय भूजल, संसाधनों का पर्यात ध्यान रखा जाए।
- बढ़ते खारेपन को रोकने का आयोजन।
- भौतिक तंत्र खड़ा करते समय आपदा के समक्ष मजबूती व स्थिरता को लेकर भरोसा।

(३) ग्राम स्तर पर रोजगार बढ़ाना

- कार्यस्थल पर सुरक्षा को प्रधानता, नीति-नियमों का निर्माण।
- प्रादेशक स्थिति के अनुसार आपदा निवारण के कामों को प्राथमिकता।
- पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व बढ़ाने हेतु स्थानीय संस्थाओं को शामिल करना।
- कुछ मुद्दों के लिए कृषि युनिवर्सिटी, शोध इकाइयों के साथ जुड़ना।
- रोजगार गारंटी योजना के तहत होने वाले कामों को आपदा निवारण के हेतु के साथ जोड़ना।
- राज्य एवं जिला विभागों को ऐसी टीम देना जो व्यवस्था की मदद में मार्गदर्शन प्रदान करे।
- पानी एवं जल संवर्धन जैसी योजना के क्रियान्वयन - विकास हेतु राहत दर पर ऋण दिलाने की व्यवस्था करना।

(४) शहरी विकास

- प्राकृतिक आपदाग्रस्त क्षेत्रों में जोखिम घटाने के उद्देश्य से सुरक्षित आवास व भूमि के उपयोग संबंधी नीति-नियम बनाना।
- भूमि उपयोग व विशेष प्रयोजनीय जोन बनाने से पहले आपदा संभावित जोखिम का अध्ययन हाथ मे लिया जाए।
- अत्यंत विशाल योजनाओं जैसे भूगर्भ रेलवे, द्रुत बस सेवा या एक्सप्रेस रोड की योजना के क्रियान्वयन से पहले स्थानिक भूगर्भ व्यवस्था पर ध्यान देना।
- अल्प ऊर्जा काम में लेने वाले पर्यायों को शहरी विकास योजना में शामिल करना।
- झोंपड़पट्टी के लोगों हेतु भयमुक्त पर्याय तलाशने और रोजगार के अवसर उत्पन्न करना।

(५) स्वास्थ्य एवं बीमा

- अस्पतालों में सुरक्षा जांच, सुरक्षा ऑडिट के कार्यक्रम करना।
- जोखिम की मात्रा के अनुसार मुआवजा दिलाने वाली बीमा सुरक्षानीति को प्रोत्साहित करना।
- यथा समय पैसों का भुगतान-पेशगी।
- व्यवसायिक स्वास्थ्य जोखिम हेतु रोजगार देने वाली इकाई के द्वारा ही स्वास्थ्य बीमा की रक्षा, सहायता प्रदान की जाने वाली नीति।
- प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान हेतु बीमा सहायता।
- स्वास्थ्य बीमा की योजना हेतु निजी संस्थाओं को जोड़ना।
- स्वास्थ्य सुधार हेतु बुनियादी शौच-सफाई-सुविधा प्रदान करना।

(६) शिक्षण

- प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के भवन और उनकी सेवा-सुविधा ऐसी बनावाना, जो विपत्ति में टिकी रह सके।
- पाठ्यक्रमों में ऐसा अभ्यासक्रम जोड़ना, जो विपत्ति के सामने जागरूकता, तैयारी तथा बचाव की शिक्षा प्रदान करे।

(७) भूजल और स्वच्छता

- पानी संग्रह तथा बचाव के कार्यक्रम बनाना।
- भूजल का उचित उपयोग हो, उसके लिए नीति-नियम बनाना।
- परिवार स्तर पर सफाई-स्वच्छता-कार्यक्रम बनाना।
- घरेलू अनुपात्दक कचरे का वैज्ञानिक पद्धति से निकास।

(८) स्वशासन

- स्थानीय स्तर पर जोखिम की संभावनाओं के समय तैयार व जिम्मेदार बनाने के लिए लोगों की सहभागिता एवं भागीदारी वाली शासन पद्धति विकसित करना।

उपसंहार

आपदा निवारण की कार्यनीति का कभी-कभार मूल्यांकन भी करते रहना पड़ेगा और तदनुसार परिवर्तन भी करते रहना पड़ेगा। असहायता निवारण हेतु सरकार द्वारा अनेक विकासलक्ष्यी योजनाएं बनाई जाती हैं। विपत्ति द्वारा होने वाले नुकसान का विकास प्रक्रिया का हिस्सा है, इस बात को ध्यान में रखते हुए ये योजनाएं बनाई जानी चाहिए। तभी विकासपरक योजनाओं और आपदा-निवारण के मध्य समन्वय के बीच बाधक प्रश्नों को हम पहचान पायेंगे और जोखिम मुक्त समाज की रचना कर सकेंगे। ऐसा समाज अधिक सशक्त, स्वतंत्र व न्यायप्रिय होगा।

पृष्ठ 20 का शेष

सबक

'आइडियल' द्वारा गुजरात में भूकंप के पश्चात् घायलों हेतु जो स्वास्थ्य पर्यवेक्षण व्यवस्था उपर्युक्त रीति से निर्मित की गई, उसमें से निम्नानुसार कुछ सबक सीखने को मिले हैं। मात्र भूकंप के संदर्भ में नहीं परंतु तमाम प्रकार की विपत्तियों के समय घायलों की समुचित देखभाल हेतु यह अभिगम उपयोगी रहेगा।

(1) राज्य सरकार के महामारी विभाग को महामारी एवं विपत्ति विभाग बनाना चाहिए। उसमें अधिक टेक्नीकल मनुष्य रखने चाहिए। ऐसे विभाग जिला पंचायत स्तर पर भी होने चाहिए। राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग के पास चार-पांच वैन और वायरलेस रेडियो की व्यवस्था घायलों को अन्य स्थानों पर पहुंचाने हेतु होनी चाहिए।

(2) बचाव तथा शोध कार्य हेतु स्थानीय स्तर के ग्रामीण कार्य दलों को आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण देना चाहिए। आपदा का सामना करने की तैयारी का वह भाग बनना चाहिए। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के स्टाफ को मेरुदंड को चोट वालों को किस तरह हटाना व संभालना, इसका प्रशिक्षण देना चाहिए। विपदा के बाद की परिस्थिति में क्या तमाम डॉक्टरों को ग्रामीण क्षेत्रों में भेज देना चाहिए।

(3) व्यूहात्मक स्थानों पर डॉक्टरों व अन्य पेशेवरों को रखना चाहिए, ताकि वे जरूरतों का आकलन कर सकें और जरूरतमंद इलाकों में सीधी राहत पहुंचा सकें। मोबाइल अस्पताल शुरू करना चाहिए और उसमें तत्काल संभाल सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए।

(4) घायल मरीजों की पूरी देखभाल हो, सुधारात्मक सर्जरी हो, जरूरी उपकरण उन्हें मिले, कोई जटिलता खड़ी न हो, उन्हें फीजियोथैरेपी मिले, पेशेवर चिकित्सा उन्हें मिले आदि पर ध्यान रखना। यह तमाम सूचना डेटा बेस में एकत्रित करनी चाहिए जिनका जिनका उपयोग हिताधिकारी कर सकें। चोटग्रस्तों का इलाज उनके व्यवसाय और उनके जीवन निर्वाह पर असर डालता है। अतः उनके रेकार्ड में इस विषयक तथ्य जोड़े जाएं। हड्डी के 40 प्रतिशत मरीजों की हड्डियां बराबर नहीं बैठती और वह उनके जीवन निर्वाह पर विपरीत असर डालता है। अतः सुधारात्मक सर्जरी और फीजियोथैरेपी की महत्ता उन्हें समझानी चाहिए।

संदर्भ सामग्री

हैल्थ सर्वेलन्स इन पोस्ट डिजास्टर सिचुएशन

गुजरात के 2001 के भूकम्प के बाद इंस्टिट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एज्युकेशन एंड लर्निंग (आईडियल) द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर घालयों/पीड़ितों के स्वास्थ्य संबंधी जरूरतें पहचानकर सूचना व्यवस्था निर्मित करने तथा इन सूचनाओं को स्वास्थ्य-सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने वालों को सौंपने का कार्य किया गया है। भूकम्प में घायल हुए लोगों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतें पहचानने हेतु तथा स्वास्थ्य सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने वालों के साथ पीड़ितों को जोड़ने के लिए स्थानीय सूचना व्यवस्था तैयार की गई। जिन लोगों की स्वास्थ्य की जरूरतों पर सामान्यतया ध्यान नहीं दिया जाता उन सर्वाधिक निःसहाय वर्गों से राहत एवं पुनर्वास में शामिल संगठनों एवं नेटवर्क द्वारा सम्पर्क स्थापित किया गया। श्री अशोक भार्गव, डॉ. लता शाह और डॉ. दिलीप मावलंकर द्वारा स्थानीय कार्यकर्ताओं एवं संसाधनों का उपयोग करके यह व्यवस्था स्थापित की गई थी।

इस लघु पुस्तिका में स्वास्थ्य की कड़ी निगरानी जिस तरह रखी गई, उसका दस्तावेजीकरण किया गया है। इस पुस्तिका से ज्ञात होता है कि संस्था द्वारा तीन चरणों में यह कार्य सम्पन्न किया गया था (1) जुलाई से दिसंबर 2001: सूचनाओं का एकत्रीकरण, फिजियोथेरापी, आकलन शिविर तथा सर्जरी (2) जनवरी से दिसंबर 2002: स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का चयन, सामग्री की तैयारी, प्रशिक्षण कार्यक्रम, स्वास्थ्य शिक्षण व मरीजों का अनुवर्ती कार्य (3) जनवरी से जून 2003 : सामग्री की तैयारी, रिफ्रेशर प्रशिक्षण और स्वास्थ्य शिक्षण।

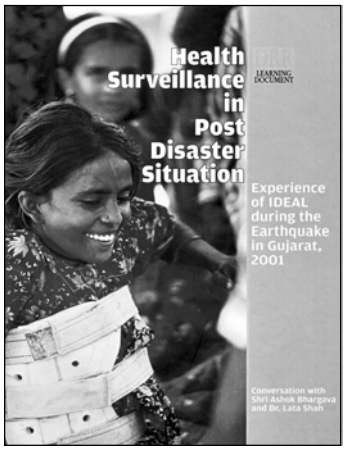

इस पुस्तिका में अनुभव के आधार पर स्वास्थ्य की निगरानी हेतु 10 उपाय बताये गए हैं। इसके अलावा, उत्तम निरीक्षण व्यवस्था के लक्षण भी बताये गए हैं। आपात स्थिति, असहायता, जोखिम, आपदा और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लू.एच.ओ.) द्वारा स्वीकृत व्याख्याएं भी दी गई हैं, जो इस प्रकार की व्यवस्थाओं को तैयार करने में अत्यंत मार्गदर्शक हैं।

भूंकप के बाद की अवधि में घायलों की देखभाल हेतु की गई यह कार्यवाही, किसी भी तरह की विपत्ति के पश्चात घायलों की देखभाल हेतु जो उपाय किये जाने चाहिए, उनमें मार्गदर्शन प्रदान करेगी । राहत व पुनर्वास कार्य में शामिल तमाम लोगों हेतु तथा शामिल होने के इच्छुक लोगों हेतु यह पुस्तिका उपयोगी सिद्ध होगी।

प्रकाशक व प्राप्ति स्थान : 'उन्नति', लेखक : स्वप्नी शाह तथा किरीट परमार।

क्लाइमेट चेंजः पोलिटिक्स एंड फैक्ट्स

ग्लोबल वार्मिंग अर्थात वैश्विक तापन में वृद्धि संभवत: दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा जटिल आर्थिक व राजनीतिक प्रश्न है। इसमें विज्ञान, अर्थतंत्र और राजनीति तीनों का मिश्रण है। जलवायु में हो रहे परिवर्तन का कारण कार्बन डायोक्साइड व अन्य गैसों का हवा में छोड़ा जाना है। अत: यह आर्थिक वृद्धि और विश्व की सम्पति के साथ जुड़ा मुद्दा है। अत: यों कहा जा सकता है कि यह मानव - सर्जित है और यह दुनिया को मुसीबत में डाल सकता है। प्रश्न यह है कि जो धनवान देश सबसे अधिक प्रदूषक

गैसें हवा में छोड़ते हैं, उन्हें कैसे समझाया जाए कि वे गैसें छोड़ने की मात्रा को घटायें। कहना चाहिए कि यह समस्या अपने आप में बाजार की एक बड़ी विफलता है। यह एक बड़ी राजनीतिक व प्राथमिक समस्या है, क्योंकि इसका आर्थिक वृद्धि के साथ संबंध है। कड़वी सच्चाई यह है कि जलवायु में परिवर्तन के परिणामस्वरूप राष्ट्रों व लोगों के बीच आर्थिक वृद्धि का आवंटन किस तरह किया जाए। धनवान देशों और लोगों को प्रदूषक गैसें हवा में छोड़ना कम करना होगा तभी गरीबों का आर्थिक विकास हो सकता है।

जलवायु में परिवर्तन हमें यह बताता है कि विश्व एक ही है और अगर धनवान लोगों ने कल हवा में प्रदूषक गैसें छोड़ी थी तो आने वाले समय में गरीब लोग भी विकास की प्रक्रिया में अधिक प्रदूषक गैसें हवा में छोड़ेंगे। अत: जलवायु में परिवर्तन को रोकने के लिए धनवान व गरीब लोगों को तथा धनवान व गरीब देशों को सहयोग देना होगा। लेकिन समानता व न्याय के बगैर ऐसा सहयोग कैसे प्राप्त किया जा सकता है?

प्रस्तुत पुस्तक में 9 अध्याय हैं। उनमें जलवायु में परिवर्तन का अर्थ, जलवायु में परिवर्तन का विज्ञान, हवा में छोड़ी जाने वाली प्रदूषक गैसें, उनके लिए कौन उत्तरदायी, भारत व दक्षिण एशिया पर उनका दुष्प्रभाव, संसार भर के देशों के बीच चर्चा-परिचर्चा, बाजार तंत्र, अल्प कार्बन डायोक्साइड के उत्पादन वाले अर्थतंत्र की दिशा और बोझ का विभाजन आदि मुद्दों को शामिल किया गया है। विशेष रूप से बाजार तंत्र विफल रहा है, इस मुद्दे पर इसमें बल दिया गया है। साथ ही साथ बोझ कौन उठाता है और अब किसे बोझा उठाना चाहिए, इसकी दिशा भी इसमें से प्राप्त होती है। इस दृष्टि से यह पुस्तक सम्पूर्ण विषय को समझने हेतु अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। पर्यावरण के संरक्षण की चिंता करने वाले लोगों को विज्ञान की अर्थनीति और राजनीति भली-भांति समझ में आएगी।

प्राप्ति स्थान: सेंटर फोर साइंस एंड एन्वायर्नमेंट, 41 तुगलकाबाद इन्स्टिट्यूटशनल एरिया, नई दिल्ली 110062, फोन: 011-29956110 - 5124 - 6394 - 6399. ईमेल: cse@cseindia.org, kushal@cseindia.org

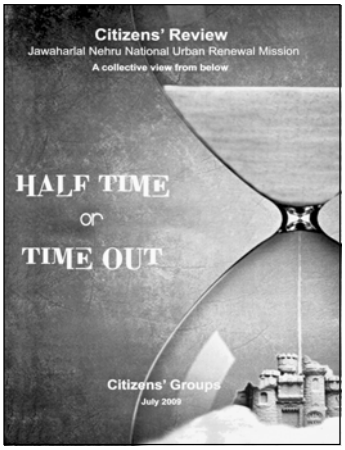

सिटिजन्स रिव्यू - जेएनएनयूआरएम

भारत सरकार द्वारा शहरों में पुनरुत्थान हेतु जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहर पुनरुत्थान मिशन की शुरूआत की गई है। इस मिशन में देश के विभिन्न शहरों में विविध योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है, वहीं विविध लोगों ने अनेक कारणों से उनका विरोध किया था। भारत सरकार ने 2005 में जब इस योजना की शुरूआत की थी, तब यह तर्क दिया गया था कि शहर देश के कुल घरेलू उत्पादन (जीडीपी) में लगभग 50 प्र.श. का योगदान करते हैं अत: शहरी स्थानीय संस्थाओं को सुदृढ़ बनाना जरूरी है।

इस मिशन में बाजारोन्मुख ऐसे सुधारों पर बल दिया गया और ऐसी व्यवस्था की गई है कि ये सुधार किये जाएं तभी शहरी स्थानीय संस्थाओं को शर्तबंद फंड दिया जाएगा। इस पुस्तक में शहरी विकास योजनाओं का विश्लेषण किया गया है। इसमें शहरी आबादी और मूलभूत सेवाओं, शहर का आर्थिक आधार, शहर की वित्तीय व्यवस्था, ढांचागत सुविधा, जमीन और गृहनिर्माण की व्यवस्था, सेवाएं प्रदान करने में निजी क्षेत्र की भूमिका प्रस्तावित विकास, सुधार इत्यादि मुद्दों को शामिल करते हुए 17 शहरों ने अपनी विकास योजना में जो व्यक्त किया है, उसकी चर्चा की गई है। इसके अलावा, शहरी विकास योजनाओं की तुलना भी 25 शहरों से संदर्भ में की गई है। शहरी विकास योजना और ब्यौरेवार परियोजना प्रतिवेदन की तुलना भी की गई है। इस पुस्तक में मिशन की कार्यवाही के बारे में समाचार पत्रों में जो विवरण आये हैं, उसका सारांश संदर्भ के साथ दिया गया है। ये विवरण बताते हैं कि मिशन की योजनाओं का क्रियान्वयन कितने खराब तरीके से हो रहा है। पुस्तक के अंत में नागरिकों के मंतव्य भी दिये गए हैं। विविध शहरों में मिशन में परियोजनाओं के विषय में लोग और गैर-सरकारी संगठन जो धारणा रखते हैं, उसे संक्षेप में व्यक्त किया गया है।

देश भर में विविध व्यक्तियों, नागरिक समूहों और संगठनों के द्वारा सामूहिक गति से जो प्रवृत्तियां की गई हैं, उन्हें दर्शाया गया है। यह समग्र विवरण नई दिल्ली में दिनांक 16-18 जुलाई 2009 के बीच आयोजित एक राष्ट्रीय परिसंवाद के दौरान प्रस्तुत किया गया था। उसमें 16 शहरों से 84 लोगों ने भाग लिया था। शहरों के विकास हेतु इस मिशन के अधीन जो परियोजनाएं हाथ में ली गई थी, वे शहरी गरीबों पर किस तरह विपरीत असर डाल रही हैं और क्यों डाल रही हैं तथा उसकी समस्या दूर करने के लिए मिशन में व्यवस्था होते हुए भी उनका क्रियान्वय क्यों नहीं होता, उसकी ब्यौरेवार चर्चा यहां की गई है।

प्रकाशकः हेजार्ड्स सेंटर, 92 एच, प्रताप मार्केट, मुनीरका, नई दिल्ली - 110067, फोन: 077 - 26714244, 26187806. ईमेल: hazardscentre@gmail.com

कम्युनिटी चार्टर ऑन क्लाइमेट क्राइसिस

दुनिया भर में अभी जलवायु में परिवर्तन अथवा ग्लोबल वॉर्मिंग के बारे में चर्चा चल रही है, तब साधारण लोग किसकी जलवायु और किसका परिवर्तन, जैसे सवाल पूछते हैं। मानव जाति के इतिहास में पृथ्वी के जन्म के पश्चात सबसे बड़ा खतरा शायद जलवायु में परिवर्तन की वजह से खड़ा हुआ है। ऐसे समय में नागरिक समाज के समूहों से अपेक्षा है कि वे वनवासी, लघु कृषक , पशु-पालक, मछुआरे और पर्वतीय इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंता व्यक्त करने हेतु काम करें। प्रकृति और जलवायु संबंधी उनके दृष्टिकोण कहीं व्यक्त नहीं होते और उनसे सुनने को नहीं मिलते । अतः 'पीपल्स कॉएलिशन ऑन क्लाइमेट चेंज' नामक नागरिक समाज के समूहों का एक नेटवर्क बनाया गया है। इस नेटवर्क द्वारा जलवायु परिवर्तन का जो असर पड़ता है, और खुद समुदाय उसे जिस तरह देखता है और अपनी प्रतिक्रिया जिस तरह व्यक्त करता है, इस पर इसमें ध्यान केन्द्रित किया गया है। भारत के सभी भागों में से पांच पर्यावरणीय व्यवस्थाओं में 12 स्थानों में 20 समुदायों का इसके लिए चयन किया गया है। वे जंगलो में, रेगिस्तानों में, मैदानों में, पर्वतों में, सागर किनारे और भीतरी इलाकों में रहने वाले समुदाय हैं।

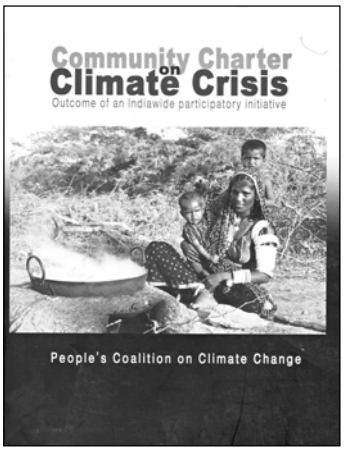

जब समुदाय खुद अपनी कहानी प्रस्तुत करते हैं, तब पर्यावरण का एक बिलकुल नया दृष्टिकोण सामने आता है। इसके उपरांत, मुख्य प्रवाह के परिणाम स्वरूप दशकों से उन्हें जो सहना पड़ा है, उनकी कहानियां भी उनमें प्रस्तुत होती है। नाग, बईगा, डोंगरिया, कोंधिया, मालधारी, पराढा, मुथियार, संथाल, दलित और मछुआरे जैसे समुदाय जिस तरह जलवायु में आने वाले परिवर्तनों को देखते हैं तथा इन परिवर्तनों के परिणांम स्वरूप उस पर पड़ने वाले प्रभावों को जिस तरह दूर किया जा सकता है, उनके बारे में भी अनेक बातें बताते हैं। इस पुस्तक में इस तरह की बातों का समावेश किया गया है। लोगों की समस्याओं, उनके अपने विश्लेषण, उनकी आशाओं तथा गौरव उनके आत्मविश्वास और हिम्मत आदि का प्रतिबिंब इस चार्टर में विद्यमान हैं। यह चार्टर असाधारण रूप से प्रेरणादायक चार्टर है। इसमें ब्रह्मांड विषयक स्थानीय दर्शन हैं और लगभग नितांत भिन्न वैश्विक दृष्टिकोण है। लोगों की ताकत और आशाओं का प्रतिबिम्ब भी इसमें है और साथ ही साथ भारत में राज्यों से जो अपेक्षाएं हैं, उन्हें भी इसमें देखा जा सकता है। इस चार्टर में निम्न मांगें प्रस्तुत की गई हैं:

1. खेत, पशु, जंगल, सागर आदि मानव सभ्यता की सम्पत्तियां हैं। इनकी विविधता तथा एकता महत्वपूर्ण है। ऐसा कुछ न किया जाए जिससे इनमें विक्षेप पड़े।
2. खेती में बहुआयामी, पर्यावरणीय एवं वैविध्यपूर्ण व्यवहार को स्वीकार करना क्योंकि वह जलवायु में परिवर्तन के विरुद्ध सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा बचाव है।
3. परंपरागत बीजों को प्रोत्साहन देना, क्योंकि उनके उपयोग से खेती में पानी कम लगता है और तेज गर्मी के सामने भी वह टिका रह सकता है।
4. सरकार की वनीकरण की नीतियों में मात्र वृक्षों की बुवाई को प्रोत्साहन न देना, वरन् पर्यावरणीय चिरंतनता को महत्व देना।

5. इस पर ध्यान देना कि भूगर्भ जल संसाधनों का अनावश्यक शोषण न हो। लोगों के रोजाना के जीवन में जल का संरक्षण हेतु जो स्थानीय पद्धतियां प्रचलित है उनको प्रोत्साहन देना।
6. पशुपालन को सम्मान देना तथा गतिशिलता को सांस्कृतिक पहचान व एकता तथा अधिकारों के संदर्भ में देखना। वर्तमान आरक्षित क्षेत्रों के संचालन हेतु पशुपालकों को सक्षम बनाना। जैव विविधता की रक्षा के लिए देशी ज्ञान एवं समता का उपयोग करना।

प्राप्ति स्थान: डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी, ग्राम - पस्तापुर, तहसील - जहीराबाद, जिला - मेडक 502220, आंध्र प्रदेश, फोन: 08451 - 282271 - 282785. ईमेल: ddspastapur @gmail.com

वरिष्ठ पत्रकार श्री दिगंत ओझा का निधन

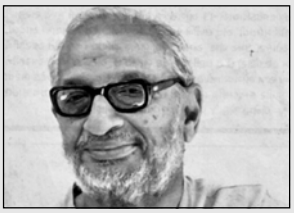

गुजरात के वरिष्ठ पत्रकार व लेखक दिगतंभाई ओझा का 29 अगस्त को प्रातः अल्पकालिक बीमारी के बाद अहमदाबाद में निधन हो गया। उन्होंने अनेक वर्षों तक पत्रकारिता की सेवाएं दी थी। उनमें सबसे बड़े अखबार समूह इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के गुजराती दैनिक, जनसत्ता-लोकसत्ता में एडिटर-इन-चीफ के रूप में सेवाएं देना शामिल है। गुजरात ने स्व. ओझा के निधन से एक अध्ययनशील, निर्भीक व सक्रिय पत्रकार को खो दिया है। आत्मीय व प्रेमिल स्वभाव के, लेकिन तेज-तर्रार दिगंतभाई ओझा कंधे पर थैला और चद्दर लेकर घूमने वाले पत्रकारों में से एक थे। वे कभी किसी के आधीन नहीं हुए, समय पड़ने पर जैसे सांप केंचुल उतारता है वैसे बड़े से बड़े तुर्रमखां की हेकड़ी उतारने में उन्होंने क्षण भर का विलंब नहीं किया। उनकी कलम और काम करने का कौशल तो पत्रकारिता के विद्यार्थियों को नयी ताकत और ऊर्जा प्रदान करने वाला जीवंत इतिहास है। परम कृपालु ईश्वर से प्रार्थना है कि वे दिवंगत आत्मा को चिरशांति प्रदान करें।

पृष्ठ 9 का शेष

यदि कोई मुस्लिम महिला हिजाब के अंदर इस्लाम का पालन करना पसंद करती है जो उसे वैसा करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। यदि वह बिना हिजाब इस्लाम का पालन करना पसंद करती है, तो उसे वैसा करने से रोकने वाला कोई नहीं होना चाहिए।

इस्लाम के चौथे खलीफा हजरत अली ने यह कहा था कि तुम उससे डरो जिसके पास गंवाने के लिए कुछ नहीं हैं। जिन महिलाओं को इस तरह वंचित किया जाता है, वे सबसे गरीब मुस्लिम महिलाएं हैं और उनके पास खोने को कुछ नहीं है। ऐसे भेदभावपूर्ण कानून द्वारा उनकी संवेदनशीलता को समाप्त किया जा रहा है। जो महिलाएं बुर्का पहनती हैं या नहीं पहनती, उनके साथ राज्य को बातचीत करने की जरूरत है। मानव अधिकारों तथा धर्मनिरपेक्षता का सहारा किसी संदर्भ के बगैर लिया जाए, इसके बजाय सांस्कृतिक संवाद पैदा किया जाए, तो वह सशक्तिकरण की दिशा में अधिक गतिशील होगा। धार्मिक चर्चा तथा शामिलगिरी के स्थान के रूप में पानीपत ऐसा ही एक उदाहरण था, जो हमारे समक्ष ही है।

पृष्ठ 40 का शेष

संचालित आपदा जोखिम घटाने के दर्शन, सिद्धांत, प्रक्रियाओं और व्यवहारों के विषय में समझ विकसित करने से इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। यह प्रशिक्षण आयोजित करने का उद्देश्य था कि समुदाय स्वयं जोखिम घटाने की प्रक्रिया हाथ में लेना, जो समुदाय खतरे का सामना करता है, उसके विषय में समझ विकसित करना और असहायता किस तरह दूर हो, तथा खतरे का सामना करने की क्षमता कैसे निर्मित की जाए। संगठनात्मक व सामुदायिक स्तर पर विपत्ति की जोखिम घटाने के विषय में समन्वय समुदाय की अपनी योजनाओं में जिस तरह स्थापित हो सकता है उसे इस प्रशिक्षण में सिखाया गया था और पास के गांवों में उसका अनुभव भी प्राप्त किया गया था।

जलवायु के बीमे, अकाल के खिलाफ प्रतिकार, बाढ़ का सामना करने की तैयारी, जल संचालन व घर का सुरक्षित निर्माण कार्य आदि के साथ संबंधित सवालों विषयक कुछ घटनाओं संबंधी एक पुस्तिका पत्रकारों द्वारा गुजराती में तैयार की गई है।

विगत चार माह के दौरान 'उन्नति' द्वारा निम्नानुसार गतिविधियां हाथ में ली गई थीः

(1) सामाजिक समावेश और सशक्तिकरण

दलितों में अधिकारों को प्रोत्साहन

पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर जिले में भोपालगढ़ व शेरगढ़, बाड़मेर जिले में शिवाना व सिंणधरी तथा जैसलमेर जिले में पोकरण आदि में पाच दलित संसाधन केंद्र चलाये जा रहे हैं, जिनमें 75 गांवों को स्थानीय स्तर की समितियों द्वारा शामिल किया गया है। इन समितियों का तहसील स्तर पर महामंडल बनाया गया है। जुलाई माह के दौरान अत्याचार के चार मामले सामने आये थे और तीन पुराने मामलों में भी मदद दी गई थी। इसके अलावा, जमीन दबाने के एक मामले में भी मदद प्रदान की गई थी। जून व जुलाई महीनों में तहसील स्तरीय समितिओं के कार्यकर्ताओं हेतु जिला स्तरीय दो क्षमता - निर्माण प्रशिक्षण आयोजित किये गए थे। उसमें 39 महिलाओं सहित स्थानीय स्तर के 118 नेताओं ने भाग लिया था। इन प्रशिक्षणों का उद्देश्य यह था कि वे दलितों पर अत्याचार के बारे में कानूनी प्रक्रिया वाकिफ हों, अत्याचार विरोधी अधिनियम में अनुसूचित जातियों व जनजातियों के बारे में की गई व्यवस्थाओं से वाकिफ हों, प्रथमदर्शी सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर) के विषय में जानकारी प्राप्त करें, विविध सरकारी योजनाओं और नरेगा के बारे में जानकारी प्राप्त करें, तदुपरांत तहसील स्तरीय समिति के सदस्यों ने ग्राम स्तरीय विविध प्रवृत्तियों हाथ में ली गई थी। उनमें दलित बालकों को शालाओं में प्रवेश दिलाना, नरेगा के तहत काम प्राप्त करने में स्थानीय लोगों को मदद देना, बाल विवाह रोकना तथा भेदभाव व अत्याचार के मामलों में कदम उठाना।

मई 2010 के दौरान जोधपुर के 'फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेन्ट' में सहयोग से जिला संसाधन केंद्रों द्वारा जिला स्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई थी। उसमें निर्वाचित 49 प्रतिनिधियों तथा स्थानीय स्तर के 88 दलित नेताओं ने भाग लिया था। इसका उद्देश्य था कि पंचायती राज संस्थाओं के मध्य सकारात्मक संबंध स्थापित हों, नव-निर्वाचित दलित प्रतिनिधि पंचायतों के विषय में जानकारी प्राप्त करें, स्थानीय स्वशासन विषयक कायदों, व्यवस्थाओं और वित्तीय व्यवस्था के विषय में जानकारी प्राप्त करें। दलित मानवाधिकार रक्षकों में क्षमता निर्माण हेतु दिनांक 28 से 30 मई 2010 के दौरान एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। पश्चिमी राजस्थान में 11 संगठनों के 23 प्रतिनिधियों ने उसमें भाग लिया था। उसमें विशाल क्षेत्र का इतिहास देश में दलितों के आंदोलनों का इतिहास दलितों के मुद्दों के बारे में सामूहिक समस्या, महिलाओं के प्रश्नों के बारे में समझ इत्यादि मुद्दों का समावेश किया गया था। भेदभाव व अत्याचारों के मामले में दलितों को न्याय दिलानेवाली कानूनी प्रक्रिया के बारे में भी उसमें जानकारी दी गई थी। इसके अलावा, कासा - उदयपुर और सस्विका अजमेर के सहयोग में तथा पीपल्स वॉच तमिलनाडु के सहयोग से मानव अधिकार के रक्षकों के अधिकारों व दायित्वों के विषय में दो दिवसीय क्षमता निर्माण प्रशिक्षण रखा गया था। उसमें राजस्थान के 22 गैर-सरकारी संगठनों के 39 कार्यकर्ताओं ने उपस्थिति दी थी। प्रादेशिक व राज्य स्तर पर मानवाधिकार रक्षकों में बचाव हेतु तथा मानवाधिकार संस्थाओं के आकलन हेतु एक फोरम की भी स्थापना की गई थी।

जुलाई 2010 के दौरान बीएमजेड (जर्मनी का आर्थिक सहकार मंत्रालय) व मालतेसर इंटरनेशनल के सहयोग से पश्चिमी राजस्थान के अकाल संभावित जिलों में दलितों, आदिवासियों तथा पिछड़े वर्ग के लोगों के सामाजिक समावेश तथा सामुदायिक प्रतिकार को मजबूत करने के उद्देश्य से एक नया प्रयास शुरू किया गया है। मुख्य प्रयोजन यह है कि अवसरों से सबसे ज्यादा वंचित तथा असहाय समुदायों को आर्थिक, सामाजिक एवं लोकभागी सहभागिता समानता के स्तर पर प्राप्त हो। खास तौर से पेयजल, स्वास्थ्य सुरक्षा व सामाजिक सुरक्षा, रोज़गार आदि प्राप्त होने पर उसमें ध्यान दिया गया। जुलाई माह में सहभागी संगठनों के साथ उद्देश्यों, व्यूह रचनाओं को लेकर समझ विकसित करने तथा कार्यगत योजना बनाने के लिए एक अभिमुख कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

विकलांगता के प्रश्न को मुख्यधारा में लाना

अहमदाबाद में बालकों के मानसिक स्वास्थ्य के प्रश्नों को लेकर काम करने वाले 4 संगठनों की क्षमता बढ़ाने हेतु सहयोग प्रदान किया जा रहा है। उनका मूल संगठन अंधजन मंडल है और उसके सहयोग से वे अधिक व्यवसायी सेवाएं प्रदान करें। इसके लिए क्षमता विकसित करने का काम हो रहा है। इसके लिए प्रत्येक संगठन के दो-दो प्रतिनिधि तय किये गये हैं और उन्हें अनेक प्रकार की विकलांगता वाले बालकों को उत्तम सेवाएं प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अंधजन मंडल 'उन्नति' के कार्यकर्ता और स्टाफ साथ मिलकर नियमित रूप से प्रति माह योजना व समीक्षा बैठकें आयोजित करते हैं। सहभागी संगठनों के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन सूचित किये जा रहे हैं। बालकों का आकलन, शिक्षण हेतु प्रत्येक की व्यक्तिगत योजना बनाना, प्रत्येक बालक में ब्यौरे वार विवरण रखने और शिक्षण व पढ़ाई पद्धतियों को नयी रीति से ग्रहण करना इत्यादि मामलों का उसमें समावेश है। जरूरतों के आकलन हेतु सहभागी संगठनों द्वारा दो शिविर आयोजित किये गए थे। उनमें व्यावसायिक चिकित्सा हेतु 36, वाणी चिकित्सा हेतु 37, मनोरोग चिकित्सा हेतु 44 तथा सहभागी योजनाओं के लाभ हेतु 50 बालकों की पहचान की गई थी। सहभागी संगठनों के 17 कार्यकर्ताओं ने बड़ौदा में दिशा और अर्पण नामक संगठनों से सम्पर्क साधा था। ये दोनों संगठन बीमार बालकों के लिए काम करते हैं।

सहभागी पद्धतियों और विशेष रूप से ग्रामीण मूल्यांकन के उपयोग बारे में तथा सर्वे पद्धति और विकलांग व्यक्तियों की पहचान हेतु दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन अप्रल 2010 में 13 संगठनों हेतु किया गया था। उसके बाद 7 संगठनों ने गुजरात के 29 गांवों में विकलांग व्यक्तियों की पहचान की थी।

सेटकोम द्वारा आदिवासी क्षेत्रों की शालाओं के विद्यार्थियों को अंग्रेजी शिक्षण

गुजरात के आदिवासी विकास विभाग के सहयोग से सेटकोम द्वारा आदिवासी क्षेत्रों की शालाओं मे विद्यार्थियों को अंग्रेजी सिखाने का एक प्रोजेक्ट गत वर्ष से हाथ में लिया गया है। ब्रिज कोर्स का ट्रांसमिशन पूरा होने के बाद एक टुकड़ी ने भरूच, डांग, नवसारी, सूरत, तापी और वलसाड़ इन छह जिलों की 28 शाखाओं से सम्पर्क किया था। कुल 151 शाखाओं में यह कार्यक्रम चल रहा है। इस सम्पर्क का मुख्य प्रयोजन शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के साथ चर्चा करके वेलकम इंगलिश कार्यक्रम का प्रभाव देखना था। उसके प्रयोजन पूरे हुए हैं या नहीं यह जानना इस विषय में विवरण तैयार किया गया है और विभाग को सौंपा गया है। वलसाड़, सूरत, पंचमहाल, साबरकांठा और नर्मदा जिले में 23 से 28 जुलाई के मध्य जिला स्तरीय दो अभिमुखता शिविर आयोजित किये गए थे। इन प्रशिक्षणों में 108 आचार्य, 132 शिक्षक, 5 परियोजना अधिकारी और 12 कन्सलटेन्ट उपस्थित थे। शालाओं में वर्कबुक-1 और वर्कबुक-2 वितरित की गई थीं।

(2) नागरिक नेतृत्व और सामाजिक उत्तरदायित्व

ग्रामीण शासन

गुजरात के अहमदाबाद और साबरकांठा जिलों के 6 तहसीलों में नागरिक नेताओं तथा पंचायत विकास समितियों द्वारा सूचना अधिकार कानून के बारे में 114 शिविर आयोजित किये गए थे। उनमें 1936 पुरुषों और 367 महिलाओं ने भाग लिया था। इसी भांति तीन तहसीलों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के बारे में जानकारी देने के लिए 15 शिविर आयोजित किये गए थे, जिनमें 291 पुरुषों और 218 महिलाओं ने भाग लिया था। नरेगा के संबंध में राज्य व जिला स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ सम्पर्क करने हेतु दाहोद, आणंद, पोरबंदर और डांग जिलों में तहसील, जिले के चुने हुए प्रतिनिधियों, विधानसभा सदस्यों, सांसदों के साथ विचार - विमर्श आयोजित किया गया था। जुलाई 2010 से गुजरात के ग्राम विकास विभाग के सहयोग से राज्य के तमाम 26 जिलों में शिकायत समाधान प्रक्रिया पर नजर रखी जा रही है और तहसील संसाधन केंद्रों में क्षमता निर्माण करके सामाजिक अन्वेषण हाथ में लिया जा रहा है।

शहरी शासन

दिनांक 7-8 जून 2010 के मध्य सामाजिक उत्तरदायित्व का संस्थाकरण: पद्धतियां, साधन, प्रश्न और चुनौतियां विषय पर दो एक-दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई थी। देश के विविध भागों में नागरिक समाज के संगठनों के 60 प्रतिनिधियों ने उसमें भाग लिया था। सामाजिक उत्तरदायित्व की मध्यस्थता विषयक उनके अनुभवों का आदान-प्रदान हुआ था। जो चुनौतियां हैं और जो सबक सीखने को मिले, उनके बारे में विनिमय हुआ था। सामाजिक विकास को प्रभावी और समतापूर्ण बनाने के लिए नीति निर्धारकों और सेवा प्रदाताओं का सार्वजनिक उत्तरदायित्व तय करने की जरूरत है। उत्तरदायित्व की परंपरागत व्यवस्था मर्यादित मात्रा में सफल हुई है अत: नये साधन जुटाये गए हैं। उसमें आयोजन में व परियोजना के संचालन में लोगों की सहभागिता, योजनाओं व सेवाओं के क्रियान्वयन पर निगरानी, सामाजिक अन्वेषण, जन-सुनवाई, लोगों का बजट, नागरिकों का रिपोर्ट कार्ड और अन्य व्यवस्थाएं विकसित की गई हैं। सीखे गए सबक के बारे में बातचीत करने, विशाल पैमाने पर काम करने की कार्यनीति विकसित करने और इन प्रक्रियाओं का अन्य स्थलों पर अनुसरण करने तथा उनका संस्थागत स्वरूप विकसित संबंधी विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर इस कार्यशाला में प्राप्त हुआ था।

(3) विपत्ति के खतरे घटाने हेतु सामाजिक निर्धारक

पश्चिमी राजस्थान की पांच तहसीलों के 7 गांवों के 65 परिवारों की एक बीघा जमीन को बागायत और घास-चारे हेतु विकसित करने हेतु सहयोग दिया जा रहा है। ऐसी आशा है कि तीन वर्षों की अवधि के पश्चात इन परिवारों को 10 से 15 बकरियों के लिए वांछित घास-चारा प्राप्त होगा और वे कुछ आमदनी कमाने में सक्षम होंगे। बाड़मेर और जोधपुर जिले में दलित परिवारों हेतु जल-सुरक्षा व्यवस्था करने के लिए चार ट्रेक्टर और टैंकर खरीदे गए हैं। समझौता पत्र और धंधागत योजना तैयार करने, दो ट्रेक्टर व टैंकर समुदाय को प्रदान किये गए हैं। समुदाय ने इस काम के लिए आमदनी कमाने का मॉडल तैयार किया है। इस व्यवस्था के बराबर काम करने के लिए ग्राम स्तरीय समिति का गठन किया गया है और वह उन पर निगरानी रखने का काम करती है। ट्रेक्टर व अन्य साधन-सामग्री पर देखरेख रखने का काम कार्यदल के सदस्य करते हैं। अकाल की अवधि के दौरान लगभग 300 परिवारों को इन साधनों द्वारा सहयोग प्रदान किया गया था।

ग्रीष्मकाल में अकाल की परिस्थिति के बिगड़ने तथा दलित महिलाओं व बालकों तथा पशुओं पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना के साथ समुदाय सदस्यों व कार्यदल सदस्यों के साथ मिलकर विपत्ति का खतरा घटाने के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया था तथा अकाल राहत सेवाएं प्रदान की गई थी। सर्वप्रथम जोधपुर व बाड़मेर जिले में 23 गांवों में से लाभार्थियों की पहचान की गई थी। असहायता के निर्देशक विकसित करने हेतु सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन पद्धति अपनाई गई थी। जोखिम और असहायता के आधार पर तमाम परिवारों को पांच श्रेणियों में बांटा गया था। पानी, घास-चारा व जल-संग्रहण ढांचे के विषय में सहयोग देने लायक असहाय परिवारों की सूची तैयार की गई थी। ऐसा तय हुआ था के कई परिवारों को विविध सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं, । अकाल राहत कार्यक्रम के लिए कुल 579 लाभार्थियों को पहचाना गया था। 97 परिवारों को 5,000 लीटर क्षमता वाली टंकियां प्रदान की गई थी। लाभार्थियों के साथ मिलकर उसकी डिजाइन तैयार की गई थी ग्राम विकास समिति सामग्री की खरीद, देखरेख तथा समानता व समयानकूलता पर ध्यान देती थी। लाभार्थियों ने कैचमेंट एरिया तैयार करने में तथा जमीन खोदने में अपनी मेहनत लगाकर सहयोग दिया था। उस निर्माण कार्य के पश्चात नियमित रूप से परिवारों को पेयजल दिलाने के लिए सघन प्रयास हाथ में लिये गये थे। पेयजल का सहयोग प्रदान करने हेतु 290 असहाय परिवार तय किये गए थे। इससे असहाय परिवारों का बोझा घटा और वे रोजगार के लिए बाहर जा सकते थे। तीव्र अकाल की अवधि में 290 परिवारों को दो राउन्ड में 8,000 लीटर जल की आपूर्ति की गई थी। 5 बकरियों वाले असहाय परिवारों को घास-चारा भी प्रदान किया गया था। अगर घास-चारे की कमी रही तो इन परिवारों द्वारा अत्यंत कम दामों में अपनी बकरियों को बेच देने का डर रहता था। तीन राउन्ड में 289 परिवारों को प्रति बकरी

के हिसाब से 22.5 कि. ग्रा. घास-चारा प्रदान किया गया था। ऐसा जानने को मिला कि इस सहयोग के परिणामस्वरूप परिवारों को ज्यादा दूध मिला और उन्होंने बकरिया भी नहीं बेची ।

अकाल राहत सेवाओं पर समुदाय द्वारा देखरेख रखने का काम जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में नौ तहसीलों मे 85 गांवों में किया गया था। सरकार द्वारा जो अकाल राहत दी जाती है, उस पर देखरेख रखी गई। दलितों और महिलाओं के प्रति भेदभाव न हो, इसके लिए विविध विभागों के सरकारी अधिकारियों को संवेदनशील बताया गया तथा सेवाओं के विवरण हेतु जिम्मेदार बताया गया। साथ ही इन सेवाओं को गौरव एवं गुणवत्ता से साथ प्राप्त करने हेतु समुदाय की क्षमता बढ़ाने के प्रयास किये गए। परिणाम स्वरूप 310 परिवारों को सर्वाधिक असहाय लोगों की सरकारी सूची में शामिल किया गया। इन परिवारों को अकाल राहत स्वरूप प्रतिमाह 600 रु. प्राप्त हुए हैं। अधिकारियों के द्वारा घास-चारे के वितरण हेतु 25 डिपो शरू किये गए, 25 गांवों में दलितों की बस्ती में पानी का वितरण किया गया और 30 गांवों में 50 स्थानों पर रोजगार के कामों की शुरूआत हुई।

सभी 23 गांवों में स्वास्थ्य कार्यदल सदस्यों द्वारा स्वास्थ्य की स्थिति का आकलन किया गया। स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केद्रों तथा वेटेनरी डॉक्टरों के साथ मिलकर 7 स्वास्थ्य शिविर और 10 पशु चिकित्सा शिविर आयोजित किये गए थे। इन शिविरों का लगभग 1000 लोगों ने लाभ उठाया था। गंभीर मामलों में लोगों को सरकारी अस्पतालों में भेजा गया था। शिविरों में मुख्य रूप से बकरियों के टीके लगाये गए थे और वर्षा ऋतु से पूर्व उनकी तीमारदारी की गई थी। अर्ध-स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं हेतु तीन दिनों का मॉड्यूल बनाया गया था। इन कार्यकर्ताओं ने दो गांव की स्वास्थ्य स्थिति का आकलन किया था और गांव में स्वास्थ्य शिविर लगाने हेतु उन्हें आधार माना गया था। अहमदाबाद में 'सेवा' में स्वास्थ्य विभाग ने प्रशिक्षण प्रदान किया और क्षेत्रीय साधन प्रदान किये। स्वास्थ्य के बीमे, सम्पति एवं जीवन बीमे के लिए 660 परिवारों के 2500 सदस्यों को प्रोत्साहन दिया गया था।

'कोर्डएड इंडिया' के 9 सहभागी संगठनों और 'गुजरात राज्य आपदा संचालन-सत्ता-मंडल' के 26 सहभागियों के लिए 5 से 17 अप्रैल, 2010 के मध्य एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। 'उन्नति' द्वारा उसका आयोजन किया गया और फिलिपीन्स की 'इंटरनेशनल इंस्टिटयूट फॉर रूरल रीकंस्ट्रक्शन' और ए.एल.के. इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से यह कार्यक्रम हाथ में लिया गया था। समुदाय

शेष पृष्ठ 36 पर

उन्नति

उन्नति

विकास शिक्षण संगठन

जी-1, 200, आज़ाद सोसायटी, अहमदाबाद-380015

फोनः 079-26746145, 26733296 फैक्सः 079-26743752 email: sie@unnati.org वेबसाईटः www.unnati.org

राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालय

650, राधाकृष्णन पुरम, लहरिया रिसोर्ट के पास, चौपासनी-पाल बाई पास लिंक रोड, जोधपुर-३४२००८, राजस्थान

फोनः 0291-3204618 email: unnati@datainfosys.net

अनुवादः रामनरेश सोनी **ले-आऊटः** रमेश पटेल, उन्नति

मुद्रकः बंसीधर ऑफसेट, अहमदाबाद.

आप लोक शिक्षण व प्रशिक्षण के लिए विचार में प्रकाशित सामग्री का सहर्ष उपयोग कर सकते हैं। कृपया सौजन्य का उल्लेख करना न भूलें और साथ ही अपने उपयोग से हमें अवगत करायें ताकि हम भी उससे कुछ सीख सकें।